खण्ड-258, अंक-10
बुधवार, 27 श्रावण, शक संवत् 1887
(18 अगस्त, 1965 ई0)

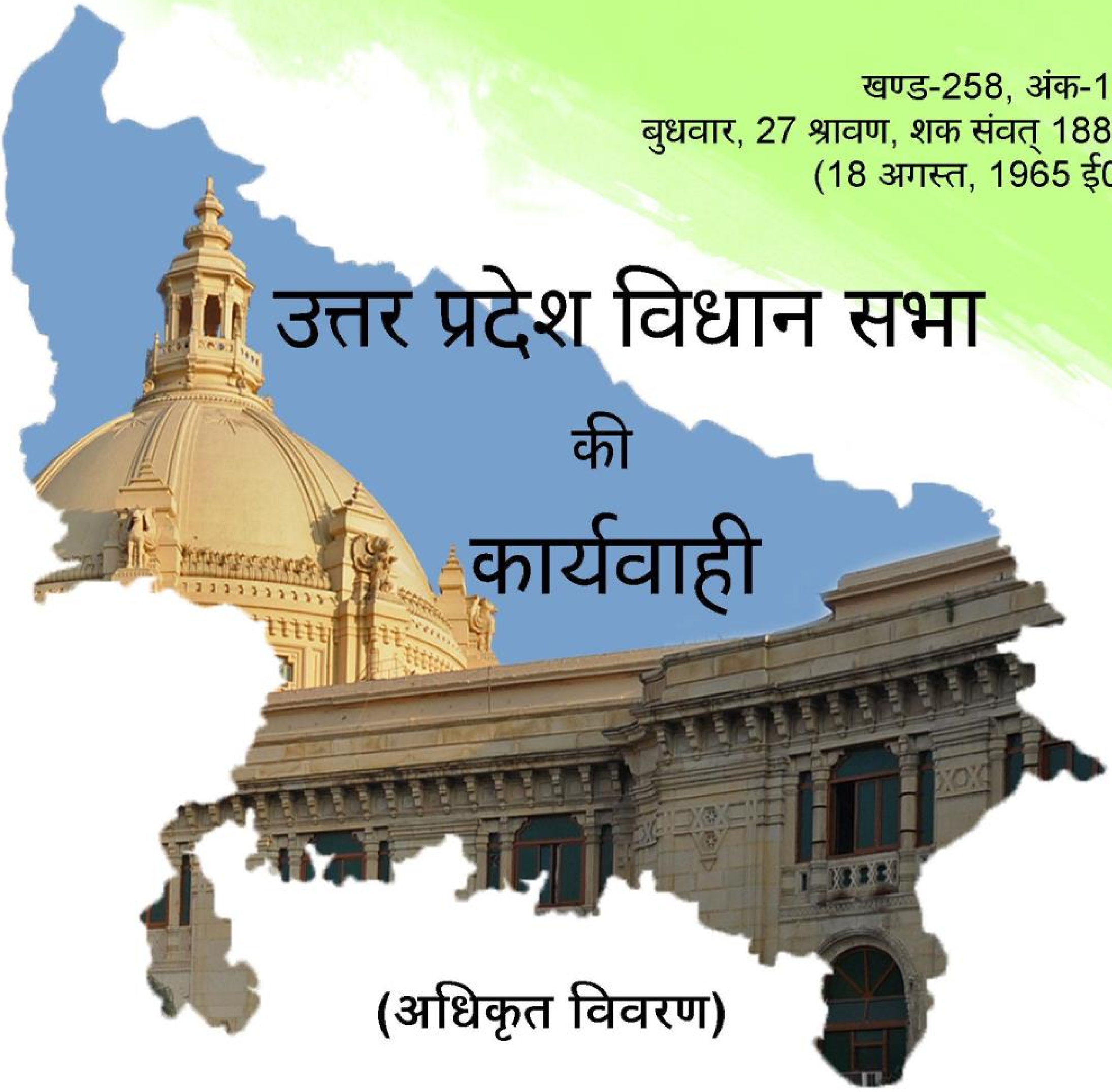

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुलसमी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमारसिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमदबख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरी लाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभानराय, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारी लाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपतिअम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रैपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)

बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराज सिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुट बिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री

हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, तथाशिक्षा उप मंत्री डाक्टर रामनारायण पाण्डेय, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ अगस्त, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

हैंसर बाजार क्षेत्र के ज्येष्ठ लिपिक का निलम्बन

*१—श्री श्याम लाल (जिला बस्ती)—

क्या विकास मंत्री को पता है कि बस्ती जिले में हैंसर बाजार ब्लाक के हेड क्लर्क के ऊपर १९६३–६४ वर्ष में ३,२०० रुपये के गबन का आरोप है ? यदि हां, तो इस मामले में सरकार कौन-सी कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

जी नहीं, परन्तु बस्ती जिले के हैंसर बाजार क्षेत्र के ज्येष्ठ लिपिक पर वर्ष ६३–६४ में वितरित ऋण के कुछ धन के गबन का आरोप प्राप्त हुआ है । ज्येष्ठ लिपिक निलम्बित कर दिये गये हैं और मामले की जांच हो रही है ।

श्री श्यामलाल—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यदि ३,२००रुपये के गबन का आरोप नहीं है तो कितने रुपये के गबन का आरोप है और यह मामला कब पकड़ा गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह २,६५० रुपये का मामला था । जब आडिटर ने जांच की तो पता चला कि १,३०० रुपया उन्होंने ४ अगस्त, १९६४, को जमा कर दिया था । अब १,३५० रुपये का मामला है जिसके लिये भी अधिकारिक रूप से सूचना नहीं है लेकिन २५० रुपये उनके पास हैं यह मानकर जांच हो रही है । जब मालूम हो जायगा कि कितना रुपया उनके पास है तो उस पर कार्यवाही की जायगी और इस बीच उनको निलम्बित कर दिया गया है ।

श्री श्यामलाल—

यह गबन का मामला कब पकड़ा गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अक्तूबर, १९६४, में शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके बाद यह हुआ ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह शिकायत विकास अधिकारी ने दी है ? यदि नहीं, तो क्या उनको भी इसमें शामिल किया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस सबकी इंक्वायरी हो रही है, जिस पर चार्ज साबित होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

मैं जानना चाहता हूं कि यह १,३५० रुपया रिपोर्ट होने के बाद जमा किया गया ? अगर यह सही है तो यह टेम्पोरेरी गबन तो हो ही गया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो सहायक लेखा अधिकारी थे जब उन्होंने इसकी जांच की और देखा कि १,३०० रुपया बैंक में जमा है तो उन्होंने नोट किया ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

जब यह शिकायत आयी उसके कितने समय के बाद उनका निलम्बन किया गया और कब यह इंक्वायरी शुरू की गयी और क्या इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करने का कोई समय निश्चित किया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

निलम्बन कब हुआ, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह तमाम बातें उनका अपराध साबित नहीं करतीं कि जिन के आधार पर उनका निलम्बन किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

२,६५० की जब कमी मालूम हुई तो उसके पहले १,३५० रु० उन्होंने कोआपरेटिव बैंक में जमा कर दिये थे । उस पर यह नोट चला है । यह निश्चित नहीं है कि यह किस का जमा है । लेकिन यह सूचना है कि २५० रु० भी उनके पास हैं । जब वह सब साबित हो जायगा, सारे चार्ज, तब कार्यवाही होगी और सजा दी जावेगी ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

ब्लाक में ब्लाक प्रमुखों और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा बड़े-बड़े गबन किये गये हैं और हिसाब-किताब गलत बन रहे हैं, इस प्रकार की आम शिकायत है आज । तो इसको देखते हुये क्या मंत्री जी आदेश जारी करेंगे कि उनके खिलाफ शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हो ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश गया नहीं है कि गबन किया गया है, लेकिन जहां गबन होते हैं और नोटिस में आते हैं तो कार्यवाही की जाती है । साबित हो जाता है तो सजायें होती हैं, वरना छूट जाते हैं । इस केस में भी इंक्वायरी हो रही है । जो चीज सामने आयेगी उसके मुताबिक अगला कदम होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है और इसे अभी तक पुलिस में न देने का कारण क्या है जबकि प्राइमा फैसी गबन का कस बन गया है ?

श्री राममूर्ति—

ये ब्योरे की चीजें हैं, नोटिस की जरूरत है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

जो रुपया गबन हुआ है यह तनख्वाह से संबंधित है या किसी और अमांउट से ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह ऋण दिया गया था, उसी ऋण में जो २६,५०० का था उसी में गबन है ।

श्री श्यामलाल—

क्या यह सही है कि ज्येष्ठ लिपिक का नाम ब्रह्मसिंह है और बी० डी० ओ० का केदारनाथ सिंह जो बस्ती के हैं और पहले जो बी० डी० ओ० थे उनका नाम सरजूप्रसाद चमार था और जब यह गबन का मामला हुआ तो उनका चटपट ट्रांसफर आजमगढ़ कर दिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, १० महीने बाद १,३०० रुपया जमा हो गया, उससे प्राइमा-फैसी केस तो ऐक्सेप्ट कर लिया कि गबन का केस है । २,६०० रुपये की कमी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा केस पुलिस के हवाले न करके सजायें नहीं दी जाती हैं, क्या ऐसा जनरल आर्डर ईश्यू सरकार करेगी कि ऐसे क्रिमिनल केसेज तुरन्त पुलिस के हवाले कर दिये जायं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जनरल आर्डर हो नहीं सकता । तरह तरह की नेचर होती है केस में । आपने कहा कि प्राइमा-फैसी इस्टैब्लिश हो गया, ऐसी बात नहीं है । १,३०० रुपया जमा नहीं किया, वह तो आलरेडी जमा था । उसके कोआपरेटिव में जमा करने पर लेखा परीक्षक ने जांच किया तो पता लगा कि ८—४—६४ को जमा है जो कि २,६०० में से जमा किया है । १३५० बाकी है ।

श्री श्यामलाल—

इस समय ब्रह्मसिंह जो ज्येष्ठ लिपिक हैं उसको बचाने के लिये डी० पी० ओ० एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं, तो ऐसे गबन के केस को मंत्री जी तुरन्त पुलिस को देकर उसे जेल भिजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जांच के पश्चात् पता लगा कि यह पुलिस को देने लायक है तो सरकार ऐसा भी करती है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

सहायक विकास अधिकारी

*१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माच, १९५७, के बाद के सहायक विकास अधिकारियों के स्थायीकरण की कोई सूची तैयार की गई है ? यदि हां, तो वह कब तक प्रकाश में लायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रसंगगत सूची अनेक प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण अभी तक तैयार नहीं हो सकी है और उसके तैयार होने में अब भी पर्याप्त समय लगेगा ।

श्री देवदत्त मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी प्रशासकीय कठिनाइयों पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री राममूर्ति—

सरकार ने जब से यह निर्णय लिया है कि हर ए० डी० ओ० को अपने-अपने विभाग से सम्बद्ध कर दिया है, तब से अलग-अलग विभाग में उनकी सूची तैयार हो रही है । उनकी ज्येष्ठता के आधार पर हर विभाग में उसकी सूचना भेजी जाती है और फिर उनकी लिस्ट बनती है । उसके बाद आब्जेक्शन मांगे जाते हैं । बहुत से विभागों की लिस्ट तैयार भी हो गयी है वह छप गयी हैं, और आब्जेक्शन भी मांगे गये हैं । सब जगह से उसकी छानबीन करना है, इसलिये यह दिक्कत हो रही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

अलग-अलग विभागों से सम्बद्ध करने का परिणाम यह हो रहा है कि बी० डी० ओ० के अधीन जो काम होता था उसमें बड़ी असुविधायें हो रही हैं, उनका उन पर कोई अनुशासन नहीं रह गया है, इसलिये क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनः विचार करेगी और उनको पहले ही की तरह उनके अन्डर में रखेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रश्न का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है मान्यवर, बी० डी० ओ० के अन्डर में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

१९५७ से आज तक ए० डी० ओ० को स्थायीकरण न होने से उनमें व्यापक असंतोष है, तो क्या उनके स्थायीकरण की सूची तैयार करने की कोई ऐसी अन्तिम अवधि तय करेंगे जिससे उन लोगों को संतोष हो जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, विभिन्न विभिन्न से उनका अब सम्बन्ध हो गया है। वहां अपने-अपने विभाग में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार सूची तैयार होनी है । इसमें कुछ समय तो लगेगा ही । निश्चित अवधि कैसे तय की जा सकती है ?

श्री देवदत्त मिश्र—

श्रीमन्, स्थायीकरण न होने से यह लोग बहुत सी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं जिससे उनमें बड़ा असंतोष है । तो क्या सरकार उनके असंतोष को दूर करने के लिये कोई आश्वासन ऐसा देने की कृपा करेगी जिससे कि उनमें असंतोष दूर हो सके ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, यह बात ठीक है, उनमें असंतोष हो सकता है । मगर सरकार को इसमें कोई खुशी नहीं होती है । सरकार तो अपनी तरफ से भरसक कोशिश करती है, मगर बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समय लग ही जाता है । कई विभाग हैं जहां सूची तैयार हो गयी है । जहां रह गयी हैं वहां कोशिश हो रही है कि जल्दी तैयार हो जाय । काम जल्दी हो जायेगा ।

डाक्टरों के बिना अस्पताल

*२—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कौन-कौन और कितने अस्पताल ऐसे हैं, जहां इस समय डाक्टर नहीं हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

इस समय प्रदेश में ३५३ राजकीय अस्पताल ऐसे हैं जिनमें इस समय डाक्टर नहीं हैं। इन अस्पतालों की †सूची संलग्न है।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया—

क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे जिससे जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं वहां डाक्टर भेजे जा सकें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये कई बार निवेदन किया जा चुका है, सरकार इसके लिये बराबर प्रयत्न कर रही है। मेडिकल कालेज भी और खोल रही है, वहां पर छात्रों की संख्या भी बढ़ा रही है ज्यादा डाक्टर जिससे पास होकर निकल सकें। फिर उनके ग्रेड बढ़ाये गये। उसके बावजूद अभी इतनी संख्या में डाक्टर्स उपलब्ध नहीं हो सके हैं जिससे उनकी जगहों को जा कर भरें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि एक स्कीम चली थी कि आयुर्वेद के वैद्य लोग डाक्टर बनाये गये थे एलोपैथिक अस्पतालों के लिये इन्टीग्रेटेड स्कीम के अन्तर्गत। तो यह संख्या उस स्कीम के बाद या उस स्कीम को चला करके फिर भी जो डाक्टर बचे हुये हैं उस संख्या को पूरा करने में लगाई गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह उसके बाद की है। उसके बाद ३५३ बचे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि अगर वह स्कीम सक्सेसफुल रही तो जो दूसरे बचे हुये हैं उनको यहां लाकर इन जगहों की पूर्ति करने में क्या हो रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम उस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि एम० बी० बी० एस० कमी के साथ आ रहे हैं इसलिये इंटीग्रेटेड को ज्यादा संख्या में लाने का विचार है। सरकार यह भी विचार कर रही है कि हम थोड़ी और संख्या हासिल कर लें और फिर उनको इन जगहों पर पोस्ट करें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, यह देखते हुये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में डाक्टरों का ९ हजार का लक्ष्य था और उसके अगेंस्ट सरकार ने करीब-करीब १९ हजार डाक्टर्स तैयार किये हैं तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी ये डाक्टर तैयार होने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में न जायं इसलिये उनके वेतन अधिक बढ़ाये जायं और उनको ज्यादा सुविधा दी जाय जिससे सब अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों में डाक्टर पहुंच सकें ?

---

†छापी नहीं गई।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वेतन वैसे अभी हाल में बढ़े हैं लेकिन किस हद तक बढ़ाया जाय उसमें और बातें भी सोचने की जरूरत है। इसके अलावा, प्रदेश की हालत को देखते हुये ही वेतन बढ़ाया जायेगा।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने अस्पताल हैं जो डाक्टरों से विहीन हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ एसे ऐलोपैथिक अस्पताल हैं जिनमें आयुर्वेद के जानने वालों को भेजा गया है और इसके कारण खतरा होने का अन्देशा बढ़ गया है ? जिन्होंने ऐलोपैथिक नहीं पढ़ी है उनको ऐलोपैथिक के अस्पतालों में नियुक्त किया गया है ऐसा क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, इंटीग्रेटेड कोर्स वाला ऐसा कोई डाक्टर नहीं नियुक्त किया गया है जिसको आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का ज्ञान न हो।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी क्षेत्र जहां १० वर्ष से अस्पताल खुल रहा है वहां पर कोई सुविधा नहीं है डाक्टर्स की ? इस तरह से बीमारियां फैलती हैं। क्या माननीय मंत्री जी वहां पर विशेष सुविधा दिये जाने पर विचार करेंगे ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

वहां पर बहुत अरसे से डाक्टर नहीं है। इस बात पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने एक कमेटी की स्थापना की थी इस बात की खोज करने के लिये कि डाक्टर्स की कमी कैसे दूर की जाय ? क्या कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और अगर दे दी है तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें उसने दी हैं जिससे डाक्टरों की कमी दूर की जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, यह तो पहले भी अर्ज किया जा चुका है और मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि बराबर इस बात की कोशिश है कि किस तरह से डाक्टरों की कमी को दूर किया जाय और उसमें जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसका एक हिस्सा यह भी था कि उनके ग्रेड्स ऊंचे कर दिये जायं तो ग्रेड्स तो ऊंचे किये लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि हमारे डाक्टर्स अभी भी सर्विसेज में नहीं आ रहे हैं तो दूसरी कोशिश हम यह कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसके ज्यादा से ज्यादा डाक्टर्स को हम इस में लें और इस वर्ष हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबिले में हमारे आयुर्वेदिक कालेज में ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों ने आने की कोशिश की है।

श्री राजनारायण मिश्र—

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा यह बात सत्य है कि बहुत सी डिस्पेन्सरीज में डाक्टर्स नहीं हैं और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी डाक्टर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जैसा मैंने एक बार और निवेदन किया था कि निकटवर्ती डिस्पेन्सरीज में जहां कि एम० बी० बी० एस० डाक्टर्स हैं और वहां उनके पास सवारी भी है तो उनके लिये हफ्ते में एक या दो दिन ऐसा निश्चित कर दें जिन दिनों में कि वह पास की उन डिस्पेन्सरीज में भी जा सकें जहां कि इस समय डाक्टर्स नहीं हैं जिससे कि निकटवर्ती स्थानों के लोग भी डाक्टर्स से फायदा उठा सकें और जो वहां हजारों लाखों रुपये की दवा और सामान पड़ा है उसका इस्तेमाल हो सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसे अभी हमारे अस्पताल नहीं हैं जहां कि हमने डाक्टर्स को कोई सवारी भी दे रखी हो, इसलिये यह चीज तो दिक्कततलब हो जायगी, लेकिन इस पर हम विचार कर रहे हैं कि जहां पर सवारी उपलब्ध हो वहां कुछ मोबाइल डिस्पेन्सरी का इन्तजाम किया जाय। एक और प्रश्न का जवाब रह गया था, माननीय सदस्य ने पूछा कि कुल कितने अस्पताल हैं, तो उसके उत्तर में निवेदन है कि कुल लगभग २ हजार अस्पताल हैं।

श्री राजनारायण मिश्र—

श्रीमन्, अमरौधा ब्लाक में जो डाक्टर हैं उनके पास सवारी है, जीप है, तो माननीय मंत्री जी वहां के लिये इस पर विचार करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले पांच वर्षों की क्या उनके पास सूची है कि प्रदेश के अन्दर कितने एम० बी० बी० एस० पास किये हुये डाक्टर विदेशों में चले गये ? यदि हां, तो बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मायर जी, दिक्कत तो है ही।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि स्टेट आयुर्वेदिक कालेज में संख्या बढ़ा रहे हैं और यह देखते हुये कि कि हमें एम० बी० बी० एस० डाक्टर्स को वेतन भी ज्यादा देना पड़ रहा है फिर भी वह नहीं आना चाहते तो क्या माननीय मंत्री जी स्टेट आयुर्वेदिक कालेज में छात्रों की संख्या १०० करने की कृपा करेंगे जिसका कि इक्विपमेंट वहां मौजूद है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ज्यादा से ज्यादा जितने वहां पढ़ सकते होंगे उसकी सुविधा हम देने के लिये विचार कर रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या यह भी सत्य है कि डाक्टर लोग देहात के शफाखाने में जाने को तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या उनको उसके लिये बाध्य करेगी या कुछ ऐसे आकर्षण देगी कि जिनसे वे ऐसे शफाखानों में जाने को तैयार हो जायं।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जिन डाक्टरों को हम देहात के शफाखानों में तैनात करते हैं वह जाते हैं।

डाक्टर रघुनाथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी ऐलोपैथिक डाक्टर मिल नहीं पाते हैं और काफी परेशानी है तो क्या आप होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को भी प्रोत्साहन देने की कृपा करेंगे जो कि सस्ती भी है और जल्दी उसके डाक्टर भी मिल जाते हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कुछ होम्योपैथिक डाक्टर्स का भी हमने इंतजाम कर रखा है और जितना हमारे थर्ड फाइव ईयर प्लान में इसके लिये टारगेट रखा था उतने अस्पताल इसके हमने खोले हैं [illegible] डाक्टर्स भी भेजे है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मेरा तो एक बुनियादी सवाल है और वह यह है कि ३५३ क्षेत्रों में डाक्टर नहीं हैं, सरकार इन्तजाम कर रही है, लेकिन श्रीमन्, बीमारी और मर्ज थोड़े ही इन्तजार करेगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इन ३५३ क्षेत्रों में आप कब तक डाक्टर पहुंचाने का प्रबन्ध कर सकेंगे, साल दो साल तीन साल कितनी मियाद आपको चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

अब दो हजार अस्पताल उन्होंने बताये हैं, ३५३ क्षेत्र आप पूछ रहे हैं ।

बलरामपुर अस्पताल में स्टुडेंट नर्स, कुमारी मारग्रेट मैसी की मृत्यु

*३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि २९ अप्रैल, १९६५ को लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल में एक नर्स ने जबरदस्ती आवश्यकता से अधिक ड्यूटी लिये जाने के कारण क्रुद्ध होकर आत्महत्या कर ली ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

२९ अप्रैल, १९६५ को एक स्टुडेन्ड नर्स ने जिसका नाम कुमारी मारग्रेट मैसी था सुबह ७ बजे से ११ बजे दिन तक ड्यूटी की, फिर १२ बजे से ४ बजे तक, यानी कुल ८ घंटे ड्यूटी की, जैसा कि हर एक नर्स को रोज दिन में करना पड़ता है । उस दिन शाम को यह पता चला कि एक नर्स अचानक बीमार पड़ गयी और उसकी जगह दूसरी नर्स को ड्यूटी करना जरूरी था साधारणतया जिस वार्ड की नर्स अनुपस्थित होती है उसी वार्ड की दूसरी किसी नर्स को ऐसी इमरजेन्ट ड्यूटी दी जाती है । कुमारी मैसी जो उसी वार्ड में दिन में ड्यूटी पर थीं रात को तैनात कर दी गयीं । रात को साढ़े आठ बजे तक वह ड्यूटी पर पहुंच गयीं । रात को लगभग २ बजे कुमारी मैसी सर्जिकल वार्ड नम्बर २ में सर टेबुल पर टेक के बेहोश पायी गयीं । उसके बाद ही तुरन्त अस्पताल में उनका माकूल इलाज शुरू कर दिया गया और पुलिस को खबर दे दी गयी । १ मई, १९६५ को ९ बजके ४५ मिनट पर उनका देहान्त हो गया । ऐसा शक होता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली ।

उनके मृतक शरीर पर दो चिट्ठियां पायी गयीं । एक चिट्ठी तो उन्होंने सिस्टर ट्यूटर श्रीमती जैसवाल को लिखी थी और दूसरी अपनी बहन को । उनके पत्रों से ऐसा ज्ञात होता है कि श्रीमती जैसवाल के व्यवहार से वह खुश न थीं, किन्तु यह साबित नहीं होता कि अधिक काम लिये जाने के कारण ही उन्होंने आत्महत्या कर ली है । कैमिकल इक्जामिनर की भी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है इससे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु कैसे हुई ।

सहकारी विकास संघ, दुद्धी का आडिट

*४—श्री झिलिमिट राम (जिला गाजीपुर) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के दुद्धी सहकारी विकास संघ की जीप नं० यू० एस० एम० ८१८ तथा यू० एस० एम० १५५४ का प्रयोग दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ व १७ फरवरी, १९६४ से १९ फरवरी, १९६४ तथा १९ मार्च, १९६४ से ७ अप्रैल, १९६४ तक सहायक निबन्धक, श्री विंध्याचल राय ने किया है ? यदि हां, तो उक्त यात्राओं का टी० ए० चार्ज करने के बाद उपरोक्त गाड़ियों का जो खर्च पड़ा था उसे दुद्धी सहकारी विकास संघ, मिर्जापुर को दिया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सहायक निबन्धक, मिर्जापुर ने केवल १९ फरवरी, १९६४ से २१ फरवरी, १९६४ तक सहकारी विकास संघ, दुद्धी की जीप का उपयोग किया। जिसका भुगतान संघ को निर्धारित दर से कर दिया गया है।

*५—श्री झिलमिट राम (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मिर्जापुर सहकारी विकास संघ, दुद्धी के सन् १९६२-६३ के दरमियान आडिटर द्वारा आडिट रिपोर्ट में करीब ७०,००० का अपहरण बीड़ी पत्ती कमीशन तथा बिक्री का पकड़ा गया था, जिसमें सहायक निबन्धक, श्री विंध्याचल राय का भी सम्बन्ध था? यदि हां, तो क्या सरकार ने आडिट रिपोर्ट के आधार पर अब तक कोई कार्यवाही की या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं।

आडिटर ने संघ के ६२-६३ के आडिट में रु० ७५,९५९.२६ पैसे बीड़ी के पत्ते के व्यवसाय में हानि दिखलायी है। श्री राय, वर्ष १९६२-६३ में जौनपुर जिले में सहायक निबन्धक थे, अतः उनके इस मामले से सम्बन्धित होने का प्रश्न नहीं उठता और न आडिट रिपोर्ट पर गबन सम्बन्धी कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है।

*६—श्री झिलमिट राम (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के सहकारी विकास संघ, दुद्धी के मंत्री का नामांकन रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां।

श्री ऊदल—

आडिटर ने जो ७५,९५९.२६ रुपये की हानि बीड़ी के व्यवसाय में दिखाई है, क्या उसने यह भी लिखा है कि कुछ लोगों ने इसका गबन करके हिसाब-किताब में हानि दिखलाई है?

श्री बंशीधर पांडेय—

ऐसी बात नहीं है। यह हानि इसलिये हुई कि पहले बीड़ी के पत्ते का भाव १२ रुपये प्रति बोरे का था जो घटते-घटते ५ रुपये तक चला गया।

एक्सरे मशीनें

*७—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में दिनांक १५ मई, १९६५ को कुल कितनी एक्सरे की मशीनें थीं तथा इनमें से कितनी मशीनें थीं जो कि बिगड़ी होने के कारण काम नहीं कर सकती थीं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१५ मई, १९६५ को कुल २११ एक्सरे मशीनें थीं। इनमें से ४८ मशीनें बिगड़ी होने के कारण काम नहीं कर सकती थीं।

विकास खण्ड, सोरों में कुओं के लिए दिया गया अनुदान

*८—श्री बदराम (जिला एटा) (अनपस्थित)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड सोरों, जिला एटा के अन्तर्गत लहर ग्राम के प्रधान ने १,२०० रु० अब से दो वर्ष से भी अधिक समय पहले उपरोक्त ग्राम में दो कुयें बनवाने हेतु जिला नियोजन समिति से अनुदान रूप में लिया था, परन्तु अब तक कोई कुंआ नहीं बनवाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। जिन कूपों के निर्माण देतु अनुदान दिया गया था वह पूर्ण किये जा चुके हैं ?

*९—श्री बेदराम (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रधान ने जो अब ब्लाक प्रमुख हैं उस ग्राम में स्थित पिछले बन्दोबस्त से भी बहुत पहले बने उपरोक्त ग्राम के दो कुओं को ही बनवाया हुआ दिखा कर पूरी रकम हड़प ली ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

प्रधान ग्राम सभा, गजोखर के विरुद्ध शिकायतें

*१०—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा गजोखर ब्लाक, पिंडरा, जिला वाराणसी के प्रधान के विरुद्ध अनियमित कार्य करने तथा प्राइमरी स्कूल की इमारत हेतु सरकारी अनुदान एवं जनता के चन्दे के दुरुपयोग के संबंध में सन्, १९६४ में कितनी दरख्वास्तें वहां की जनता ने परगनाधीश, ए० डी० एम०, प्लानिंग तथा पंचायत राज अधिकारी, वाराणसी को दी हैं और उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वंशीधर पाण्डेय—

गांव सभा गजोखर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के प्रधान के विरुद्ध अनियमित कार्य करने तथा प्राइमरी स्कूल की इमारत हेतु सरकारी अनुदान एवं जनता के चन्दे के दुरुपयोग के संबंध में वहां की जनता ने सन्, १९६४ में दो दरख्वास्तें परगनाधीश को दी थीं परन्तु ए० डी० एम० (प्लानिंग) तथा पंचायत राज अधिकारी को जनता से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

परगनाधीश से शिकायतों की जांच कराई और वे निराधार पाई गईं, इसलिये प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री नेकराम शर्मा—

संक्षेप में वे शिकायतें क्या थीं, किस अधिकारी ने जांच की और क्या रिपोर्ट दी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

परगनाधीश ने जांच कराई और शिकायत करने वाले राम बली मिश्र गजोखर के थे। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उनकी दरख्वास्त पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—

अगर लम्बी नहीं है तो पढ़ दीजिये।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

लम्बी है।

श्री ऊदल—

शिक्षा की इमारत के लिये कितने रुपये का अनुदान दिया गया और वहां की जनता से कितना रुपया चन्दे में वसूला गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करावेंगे कि जो रुपया स्कूल को इमारत के लिये दिया गया वह इमारत तैयार नहीं हुई, ढह गई, और क्या सरकार उस स्कूल को तैयार कराने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि वे शिकायतें निराधार पाई गईं और उसके अलावा मेरे पास यह भी सूचना है कि आपसी पार्टीबाजी जो राम बली और उनकी थी उसके कारण शिकायतें की गईं।

श्री ऊदल—

मेरी जानकारी है कि जैसी इमारत बननी चाहिये थी वैसी नहीं बनी ? पार्टीबन्दी को आप छोड़ दें, उस रुपये का सदुपयोग हुआ या नहीं, इसकी आप जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जांच कराने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन जांच के बाद ही तो वह शिकायती पत्र निराधार पाया गया और वह दाखिल दफ्तर हो गया।

[१८ अगस्त, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बदायूं ब्लाक में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

*१—श्री उल्फत सिंह यादव (जिला बदायं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खण्डों के कार्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से कुछ को सेवा मुक्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी किस किस कारण से निकाले जा रहे हैं ?

श्री राम मूर्ति—

जी नहीं।

*२—श्री उल्फत सिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस प्रकार प्रश्न (१) से संबंधित सेवा मुक्त कर कर्मचारियों को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कहां? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता।

बी० डी० ओज०

*३—श्री उल्फत सिंह यादव (अनुपस्थित)—

२५-३-६४ के लिये निर्धारित प्रश्न कर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या १२ के उत्तर से संबंधित क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो विकास खन्ड अधिकारी अपने स्थान पर तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री राम मूर्ति—

शासकीय आदेशानुसार क्षेत्र विकास अधिकारी को एक ही विकास खण्ड में साधारणतया पांच साल तक नियुक्त रक्खा जाता है। इसलिये प्रश्नगत खंड विकास अधिकारियों का अपने स्थान पर तीन साल से अधिक समय से काम करने के बाद भी स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं है ।

आई० टी० आईज में छात्रवृत्तियां

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई० में जिस प्रकार से सभी हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाती है उसी प्रकार से सभी पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जाया करे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

आई० टी० आईज में छात्रवृत्तियां प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई को दी जाती हैं जिसमें से अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी हुई जाति के प्रशिक्षार्थियों के लिये ५ प्रतिशत रिजर्व रहती है। छात्रवृत्ति निर्धनता एवं योग्यता के आधार पर दी जाती है। इसलिये पिछड़ी हुई जाति के जितने प्रशिक्षार्थी इस मापदन्ड में आ जाते हैं उन सबको छात्रवृत्ति मिल जाती है । पिछड़ी हुई जाति के सभी प्रशिक्षार्थियों को वित्तीय कठिनाइयों के कारण छात्रवृत्ति देना इस समय संभव नहीं है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि यह ५ फीसदी छात्रवृत्ति गरीबी के आधार पर दी जाया करे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रायः निर्धनता के ही आधार पर दी जाती है लेकिन योग्यता भी देखी जाती है ।

श्री ए० सी० ग्राइस (आंग्ल भारतीय)—

क्या इन पास हुए लड़कों को नौकरी मिलने के लिये फालोअप कराते हैं या नहीं चूंकि उन्हें नौकरी मिलने में मुश्किल होती है ?

श्री बंशीधर पान्डेय—

जिनको जरूरत होती है वे उन्हें रख लेते हैं । वे एप्लाई करते हैं ।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मेरी जानकारी है कि फालो-अप नहीं होता है और न उनके पास पैसा होता है कि घूस दे सकें क्योंकि बिना घूस के नौकरी नहीं मिलती है। तो सरकार घूस देने के लिए कुछ मदद करती है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह तो बड़ा दुष्कर कार्य होगा ।

श्री राम किशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार उन छात्रों को कोई साधन देने की बात दिमाग में रखती है जिससे वे अपना रोजगार कर सकें या उन्हें नौकरी दे ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। आजकल टेक्नीकल स्टाफ की बहुत कमी है और नौकरी न मिलने का सवाल ही नहीं है। बल्कि जितनी नौकरियां हैं उतने लड़के नहीं मिलते हैं। हमारे यहां सामुदायिक विकास विभाग में ही ८७५ ओवरसियरों की हमको जरूरत है लेकिन इतने नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—

अनुसूचित परिगणित और पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त अन्य-अन्य वर्गों की भी आर्थिक दृष्टि से सरकार छात्रवृत्ति पर विचार करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मान्यवर, ज्यादा से ज्यादा ३३ प्रतिशत दिया जाता है जिसमें से हरिजनों को सवा बारह प्रतिशत, पिछड़ी जातियों को ५ प्रतिशत और शेष जनरल का होता है। जो हरिजन बाकी बच जाते हैं उनको समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिला दिया जाता है।

श्री ए० सी० ग्राइस—

श्रीमान् जी, मेरा कहना यह है कि मैंने खुद बहुत से लड़कों को पैसा दिया है एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज में घूस देने के लिये और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि टेक्नीकल स्टाफ की कमी है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज का तो यह काम ही है कि जो लड़के पास होकर आते हैं उनका नाम रजिस्टर करता है। उनको एम्प्लायमेन्ट की नेचर बताता है और फिर वहां एप्लाई करते हैं, तब उनको नौकरी मिलती है।

श्री चन्द्र बली सिंह—

क्या मंत्री जी को विदित है कि हरिजन और पिछड़े वर्ग की संख्या ८०–८५ प्रतिशत है, फिर उन लोगों को तरक्की देने के लिये ५ प्रतिशत छात्रवृत्ति ही क्यों देते हैं ? क्या माननीय मंत्री जी इस ओस को चटाने जैसी छात्रवृत्ति को बन्द करके परे लड़कों को छात्रवृत्ति देंगे ?

श्री राम मूर्ति—

सरकार की नीति तो यह है ज्यादा से ज्यादा लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाय और आपने देखा होगा कि पहले के मुकाबले में अब हम बहुत ज्यादा छात्रवृत्ति दे रहे हैं। जितना धन उसके लिये हमें उपलब्ध होता जाता है, उतनी छात्रवृत्ति हम बढ़ाते जाते हैं। हमारी कोशिश है कि हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लड़कों को ज्यादा से ज्यादा छात्रवृत्ति दी जाय।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

माननीय मंत्री जी ने जिस आवश्यकता को देखते हुए आई० टी० आईज० खोले हैं, उसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी सब लड़कों को स्टाइपेन्ड देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, यह तो बिलकुल असंभव है।

*५-७—श्री हरीशकुमार गंगवार)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर, फतेहपुर के कार्यालय में हरिजन

*९—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर हेल्थ, फतेहपुर के कार्यालय में कुल कितने सेनेटरी इन्स्पेक्टर, वैक्सीनेटर, क्लर्क एवं चपरासी हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर हेल्थ, फतेहपुर के कार्यालय में ७ सेनिटरी इंस्पेक्टर, ५२ वेक्सीनेटर तथा १४ लिपिक और ९ चपरासी हैं। इनमें से सेनिटरी इंस्पक्टरों तथा चपरासियों में कोई हरिजन नहीं है। वेक्सीनेटरों में २ हरिजन हैं तथा लिपिकों में १ हरिजन है।

*१०—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ से अब, तक में मलेरिया उन्मूलन फतेहपुर में हर प्रकार के कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये और उनमें से कितने हरिजन किन पदों पर नियुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*११—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर में कितने प्रतिशत हरिजन संरक्षण पूरा हो चुका है और कितने प्रतिशत पूरा होना बाकी है और पूरा न होने का मुख्य कारण क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब क्लर्कों और सेनीटरी इन्सपेक्टरों की योग्यतायें हाई स्कूल और इन्टर निर्धारित है, वैक्सीनेटरों की हाई स्कूल और चपरासियों की कुछ नहीं है और इन योग्यताओं के अनेक हरिजन मारे मारे फिरते हैं तो क्या कारण है कि ५२ वैक्सीनेटरों में से केवल २, १४ क्लर्कों में १, सात सेनीटरी इंसपेक्टरों और ९ चपरासियों में से एक भी हरिजन नहीं लिया , इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम इसको दिखवा रहे हैं। कभी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम नहीं जाते हैं, कुछ रजिस्टर नहीं होते, फिर भी हम इस बारे में फिर से आज्ञा प्रसारित कर रहे हैं कि इनका प्रतिशत पूरा करने के लिए हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लिया जाय ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि श्री लक्ष्मीकांत शुक्ल, श्री शैलेन्द्र कुमार दीक्षित, फूड इन्सपेक्टर अपने निवास स्थान पर नियुक्त हैं और श्री चतुर्वेदी, हेल्थ अफसर अपने कार्यालय के सर्वेसर्वा हैं और उन्होंने अभी जून-जुलाई में जो २१ वैक्सीनेटर रखे हैं उनमें से १६ उनके अपने संबंधी हैं और क्या इसीलिए उन्होंने हरिजनों को नहीं रखवाया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अगर वह लिख कर दें तो हम पूरी तौर पर जांच करायेंगे ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

प्रश्न १० व ११ के विषय में जो सूचना एकत्र की जा रही है वह सूचना सदन की मेज पर कब तक आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर आप के ही पास आयेगा और वह सदन में प्रस्तुत होगा जिस पर आप प्रश्न कर सकेंगे । वह सूचना सदन की मेज पर नहीं आयेगी ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

वह कब तक आयेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उसके लिए वही १५ दिन का नियम है ।

*१२—श्री ऊदल—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया ।]

सहायक विकास अधिकारी, देवकली द्वारा पौधों का दाम न अदा करने की शिकायत

*१३—श्री ऊदल—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक विकास अधिकारी प्रथम चरण खण्ड देवकली, जिला गाजीपुर ने दिनांक १८ अगस्त, १९६० को आजाद नर्सरी मड़आडीह, वाराणसी से १,२१० रु० १० पैसे के पौधे खरीदे थे और उसमें से ६२२ रु० ९० पैसे का भुगतान किया है और ५८७ रु० २० पैसे आज तक भुगतान नहीं हुआ जिसके संबंध में आजाद नर्सरी ने दिनांक १९ अगस्त, १९६१ को नियोजन अधिकारी गाजीपुर, दिनांक १७ मार्च, १९६२ को कृषि मंत्री, दिनांक २५ अप्रैल, १९६२ को मुख्य मंत्री, दिनांक १४ अक्तूबर, १९६४ को उपविकास आयुक्त, वाराणसी तथा दिनांक ९ दिसम्बर, १९६४ को मुख्य मंत्री को प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न करने का कारण क्या है और उन दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, रुपये १,२१०.१० पैसे के पौधों में से केवल रुपये ९२३.०० के पौधे अच्छे थे और इसमें से रु० ६२२.९० पैसे का भुगतान हो चुका । रु० ३००.१० पैसे का भुगतान शेष है ।

इस मामले में शिकायती पत्र दिनांक १४ अक्तूबर, १९६४ तथा ९ दिसम्बर, १९६४ को प्राप्त हुए हैं परन्तु शेष की प्राप्ति के बारे में कोई तथ्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं । शेष धन के भुगतान करने के संबंध में आवश्यक देखभाल की जा रही है । छानबीन चल रही है ।

श्री ऊदल--

सन् ६० में १,२१० रु० १० पै० के पौधे खरीदे गये, विभाग को कब पता चला कि ९२३ रुपये के पौधे अच्छे थे और बाकी खराब थे और क्या उसकी सूचना नर्सरी को दी गई थी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वहां के जो व्यवस्थापक हैं श्री ब्रजमोहन नाथ उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जितने अच्छे पौधे होंगे उन्हीं की कीमत होगी और बाकी का पैसा राइट-आफ कर दिया जायगा ।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी इस ३०० रु० १० पै० की बकाया का भी भुगतान जल्द से जल्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

उसके लिए जल्द से जल्द कार्यवाही होगी ।

श्री रघुनाथ सिंह--

यह ३०० रु० १० पै० की रकम सन् ६० से बकाया है, तो जबसे अब तक रुपये की जो कीमत गिरी है क्या उस हिसाब से बकाया के अलावा क्षति पूर्ति की भी वसूली सरकार करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के अध्यापक

*१४--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में अध्यापक पार्ट टाइम काम करते हैं तथा अध्यापकों के कितने स्थान अभी रिक्त हैं जिन पर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी एवं यह पद कितने दिनों से रिक्त हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वांछित सूचना तालिका "क" में संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ १०४३ पर)

*१५--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित पदों के रिक्त होने का कारण क्या है तथा उनकी पूर्ति कब तक हो जायगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सुयोग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण एवं कुछ पदों का विज्ञापन अभी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा न होने के कारण स्थायी नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं । रिक्त स्थानों की पूर्ति शीघ्र ही करने की चेष्टा की जा रही है ।

श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचनांक

*१६--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के श्रमिकों के जीवन निर्देशांक का वैधानिक ढंग से पुनर्निर्धारण करने के लिए बम्बई की लकड़वाला कमेटी के फार्मूले पर किसी कमेटी को नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास--

श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचनांक का संकलन इस प्रदेश में कानपुर में किया जा रहा है। शासन इस पर भी विचार करेगा कि यदि उपयुक्त हो तो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित कानपुर का उपभोक्ता मूल्य सूचनांक अपना लिया जाय। इस समय शासन का कोई कमेटी नियुक्त करने का विचार नहीं है।

पंचायतों का चुनाव

*१७--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों व न्याय पंचायतों का चुनाव कब तक कराया जा रहा है तथा चुनाव नियमों में भी कुछ संशोधन करने का विचार है ?

श्री राम मूर्ति--

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

खोये के व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव

*१८--श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में निरन्तर खोये के रोजगार की बढ़ोत्तरी के कारण कानपुर नगर में दूध की भारी कमी हो गई है जिससे जन-साधारण को बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में सरकार दूध की उपलब्धि के लिए खोए के रोजगार की बढ़ोत्तरी पर रोक लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

चूंकि खोए का व्यापार ग्राम स्तर से लेकर क्रय स्तर पर असंगठित तरीके से बहुत से लोग करते हैं इसलिए सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं जिसमें यह मालूम हो सके कि इसका व्यापार दिन प्रतिदिन कहां और कितना बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान अवश्य है कि चूंकि पदार्थों की कीमत काफी बढ़ गई है अतः बहुत सा दूध दुग्ध पदार्थों के बनाने के काम में जा रहा है जिसके फलस्वरूप तरल दूध और भी कम मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। परन्तु दूध की यह कमी सभी जगहों पर है। चूंकि खोए का व्यापार असंगठित है अतः रोक की व्यवस्था करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं। रोक लगाने से जनता तथा व्यवसाइयों में असन्तोष होने की भी संभावना है। अतः इस समय खोए के व्यापार पर रोक लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हां सरकार यह विचार अवश्य कर रही है कि अन्य दुग्ध पदार्थों जैसे बेबी फूड, दुग्ध पाउडर, कनडेन्स्ड मिल्क के बनने पर तथा प्रदेश के बाहर भेजे जाने पर कहां तक रोक लगाना उचित होगा।

*१९--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२०-२१--श्री श्याम लाल--

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित किए गए।]

हाथरस के एन० के० क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स में तालाबन्दी

*२२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के एन० के० क्लौथ एण्ड जनरल मिल्स जून मास में किन कारणों से बन्द कर दिया गया और मिल बन्द करने पर ३०० मजदूरों का वेतन तथा १,५०० मजदूरों का बोनस भत्ता क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह मिल जून, १९६५ से नहीं बल्कि १६ अप्रैल, १९६५ से बन्द हुआ है। मिल मालिक का कहना है कि निर्धारित मूल्य पर रुई न मिलने तथा निरंतर हानि होने के कारण मिल बन्द किया गया।

केवल २६९ मजदूरों ने जो अर्जित वेतन के साथ छटनी भत्ता की मांग कर रहे थे, अपना वेतन स्वयं नहीं प्राप्त किया।

मजदूरों के १९६२-६३ व १९६३-६४ के बोनस की मांग औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

*२३--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७ जून को मजदूर जब अपना वेतन लेने गए तो उन पर लाठी चार्ज क्यों किया गया? और कई मजदूर क्यों गिरफ्तार कर लिए गए?

श्री बंशीधर पांडेय--

प्रश्न का प्रथम भाग सही नहीं है।

७ जून को जब मिल के पल्लेदारों तथा ट्रक डाइवर ने रुई की गांठें कानपुर ले जाने के लिए ट्रक पर लादने की चेष्टा की तो कुछ मजदूर हिंसात्मक हो गए और उन्होंने मिल-सेक्रेटरी, मिल के पल्लेदारों तथा ट्रक ड्राइवर को पीटा और जान से मार डालने की धमकी दी। यह रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने ६ मजदूरों को गिरफ्तार किया।

*२४--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब साथी भगवानदास दिनांक ७ जून १९६५ को हाथरस में मौजूद नहीं थे तो तारीख ८ के सवेरे उन्हें इलाहाबाद से लौट आने पर, क्यों गिरफ्तार कर लिया गया?

श्री बंशीधर पांडेय--

८ जून की सुबह जब साथी भगवानदास इलाहाबाद से हाथरस वापस आये तो यह सूचना मिलने पर कि वे कानून तोड़ने व साथियों को भड़काकर शांति भंग करने की योजना बना रहे हैं, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के किस अधिकारी ने पता लगाया कि निर्धारित मूल्य पर रुई न मिलने तथा निरंतर हानि होने के कारण मिल बन्द किया गया है और मजदूरों ने जो अर्जित वेतन के साथ छटनी भत्ता भी मांग रहे थे, अपना वेतन स्वयं नहीं प्राप्त किया?

श्री बंशीधर पान्डेय--

यह तो १६ अप्रैल, १९६५ से बन्द हुआ है। उसके बाद हमारे असिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर वगैरह सब लोग वहां पर गये। हाथरस में पंचायत हुयी। जब वे कार में थे तो उसमें लेबर वेलफेयर आफिसर भी थे। उनकी घड़ी छीन ली गयी और उन्हें घसीटा गया। इस प्रकार से एक झगड़े का वातावरण पैदा हुआ। फिर वहां पर एस० डी० ओ० और डी० एस० पी० भी गये।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

जहां पर यह बात बतायी गई कि ये अफसरान वहां पर इस बात की जांच करने और समझौता करने के लिए गये वह अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बुलायी पर यह घटना हाथरस में हुयी बतायी गयी। क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, जो सूचना है उसके अनुसार हाथरस में ही घटना हुई। यह प्रतिष्ठान १६ अप्रैल १९६५ को बन्द हो गया था। उस मीटिंग में जो वहां पर हुई कोई निर्णय नहीं हो सका।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मिले के मजदूरों ने अर्जित वेतन के साथ छटनी भत्ते की भी मांग की और जो बोनस जो आर्डिनेन्स के मुताबिक था, वह उन्हें क्यों नहीं दिया गया और उल्टे वहां पर पुलिस ने मजदूरों के ऊपर ज्यादती की और मजदूरों को मारा। तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्हें क्यों मारा गया और उनको उनका बोनस और वेतन दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री वंशीधर पाण्डेय--

मामला यह है कि १६९६ मजदूरों में से ८२१ की सर्विसेज एक साल से कम थी। जब उन्होंने यह तय किया कि यह मिल बन्द किया जाय तो एक साल से कम वाले जो श्रमिक थे उनको हटाया गया। जो बचे उनमें से ५५९ को भत्ता दे दिया। २९९ आदमियों को दूसरे प्रतिष्ठान जो उनका बिजली काटन मिल का था उसमें रिप्लेस कर दिया। इनमें से ३० आदमी प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। जहां तक बोनस का प्रश्न है वह मांग औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि यह मामला इन्डस्ट्रियल ट्राइब्युनल में पेंडिग में पड़ा हुआ है तो सरकार ने क्यों लाक आउट की परमिशन दी और इस तरह से मजदूरों को निकाला गया ?

श्री वंशीधर पांडेय--

सरकार की परमिशन का सवाल कहां आता है मजदूरों के बोनस का मामला ट्रिब्युनल में है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

नियम यह है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटस ऐक्ट के मुताबिक कोई मामला पेंडेंसी में हो उस बीच में हड़ताल होना अथवा लाक आउट मिल मालिकों के जरिये करना इल्लीगल होगा तो फिर जब मामला पेंडेंसी में था तो किस तरह से मिल मालिकों ने स्वेच्छा से अथवा सरकार की इजाजत से लाक आउट कर दिया, मजदूरों को रिट्रेन्च किया ? यदि ऐसा हुआ तो क्या सरकार जांच करके मिल मालिकों को सजा देने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

१७७ आदमियों का बोनस का मामला ट्रीब्युनल के सामने है।

श्री ऊदल--

१६६० मजदूरों का जो मामला है जिसमें ८०० मजदूरों की नौकरी एक वर्ष से कम थी उनको निकाल दिया गया। इस संबंध में क्या सरकार इस तरह का कोई कदम उठाने को

तैयार है कि मजदूर और मिल मालिकों के नुमाइन्दे बैठ कर इस तरह का समझौता कर लें कि जो मजदूर निकाले गये हैं वे काम पर वापस ले लिये जायं, जिनके बोनस का सवाल है उनको वह दे दिया जाय और मिल को चालू कर दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इस संबंध में लेबर कमिश्नर से पूछेंगे लेकिन माननीय सदस्य भी जो इस सवाल से संबंधित हैं वे मजदूरों तथा लेबर कमिश्नर को एप्रोच करें, कंसिलियेशन-आफिसर के जरिये बात को तय करें और जो हमारा कार्यक्रम होगा वह हम करेंगे।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--

क्या सरकार को सूचना है कि माथुर नाम के थानेदार ने कांग्रेस का झन्डा फाड़ कर डंडा निकाल कर उसी डंडे से लाठी चार्ज किया ?

श्री बंशीधर पान्डेय--

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*२५--श्री मुरलीधर कुरील तथा श्री गणेशचन्द्र काछी--

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ में डाक्टर

*२६--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में हजरतगंज सिविल अस्पताल में कितने डाक्टर तीन साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

ऐसे डाक्टरों की संख्या ६ है।

*२७--श्री बृजमोहनलाल गुप्त तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार उपरोक्त अस्पताल में तीन साल से अधिक समय से कार्य करने वाले डाक्टरों का तबादला करने पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

यदि ऐसा करना आवश्यक समझा गया तो विचार किया जायेगा।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि अधीक्षक सिविल अस्पताल, लखनऊ को उक्त पद पर कार्य करते हुए ३ साल से अधिक हो गये और उससे पहले भी इसी अस्पताल में अनेक पदों पर कोई साल कार्य कर चुके हैं और उन ६ में यह भी सम्मिलित हैं ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय--

वह इसमें शामिल हैं और इससे पहले वह इस पद पर नहीं, दूसरे पदों पर रहे हैं।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त--

इन्हीं अधीक्षक के खिलाफ कभी डी० आई० जी० के जरिये कोई शिकायत हो चुकी है जिसकी वजह से उनका ट्रान्सफर हुआ था और फिर उसी जगह उनको रख दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री विजय सिंह--

ऐसे डाक्टर जो ३ साल से अधिक शहरों में रह रहे हैं उनकी देहात में सरकार भेजने की कृपा करेगी और उनको जगह दूसरों को बदलती रहेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

यह सवाल तो अधीक्षक के सिलसिले में है और जो डाक्टर अधीक्षक के पद पर काम कर रहा है वह देहात में नहीं जायगा, इसलिये उसे इस चीज से तो जोड़ना उचित नहीं है और वैसे देहातों में जिनको भेजते हैं वे जाते ही हैं ।

श्री विजय सिंह (जिला जालौन)--

हजरतगंज डिस्पेंसरी में ३ साल से अधिक के कितने डाक्टर हैं उसी संबंध में यह प्रश्न मैंने किया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

६ डाक्टर हैं जो ३ साल से अधिक के हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

आम तौर पर ३ वर्ष के बाद तबादला हो जाता है फिर इसका क्या कारण है कि कुछ डाक्टर पिछले ६, ७ वर्ष से उसी जगह रह रहे हैं, इसके लिये क्या कोई खास विशेष कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

चूंकि उन डाक्टर से सब लोग खुश हैं, और वह अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिये रोके हुए हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

इन ६ डाक्टरों में कौन कौन तीन साल से अधिक से हैं और उनको हटा कर देहात के क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था करेंगे जैसाकि माननीय सदस्यों ने कहा है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

तीन साल से अधिक में हैं--डाक्टर एस० बी० खरे, डाक्टर जे० एम० रोहतगी, डाक्टर सुशीला तिवारी, डाक्टर सी० एल० सिंहल, डाक्टर बी० डी० मिश्र, डाक्टर वाई० एस० दास।

गोरखपुर मेडिकल कालेज के लिए जमीन

*२८--श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज हेतु गोरखपुर जिले में कहां जमीन ली गई तथा इस हेतु अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पान्डेय--

गोरखपुर में प्रस्तावित मेडिकल कालेज के लिये अभी कहीं जमीन नहीं ली गई है ।

उक्त कालेजों के लिये कई जमीनों, स्थलों का निरीक्षण किया गया है जिसमें दो जमीनों को उपयुक्त पाया गया है । इसके संबंध में कुछ सूचना कलेक्टर, गोरखपुर से मांगी गई है ।

*२९--श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में मेडिकल कालेज के चालू होने में कुल कितना समय लगेगा ।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

यह अभी बताना संभव नहीं है ।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन दो जगहें हैं जिनको आपने उपयुक्त समझा है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

एक तो गोरखपुर फरेन्दा रोड पर है और दूसरी जमीन है श्री पुरुषोत्तम दास और मियां साहब का फार्म ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकार की तरफ से पत्र मेडिकल कालेज की जमीन के संबंध में गया है, वह कब गया है और आज तक जबाब न मिलने का क्या कारण है, जिसकी वजह से भूमि लेने में देरी हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

उसमें कई बातें हैं । एक सड़क का प्रश्न लगा हुआ है, कि म्युनिसिपल बोर्ड सड़क बनवायेगी या नहीं । दूसरे यह कि जितने विभाग हैं, सारे विभागों की राय लेने के बाद उसको लिया जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने उत्तर दिया कि संभव नहीं है बताना, तो क्या कारण है कि जब निश्चित योजनाएं बनती हैं, तो कब तक चालू हो जायेंगी, यह बताना क्यों संभव नहीं है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

चौथी पंच वर्षीय योजना में अस्पताल बनेगा इसके लिये जमीन छांट रहे हैं । जब जमीन छंट जायगी और इमारतें बनने लगेंगी, तो चौथी पंच वर्षीय योजना के समय में इसको बन जाना चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जो दो जगह जमीन तजबीज की गयी है, गोरखपुर फरेंदा रोड पर और मियां साहब और पुरुषोत्तम दास फार्म पर, इनमें से किस जमीन को मेडिकल कालेज के लिए सब से अधिक उपयुक्त समझा गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अभी इस पर बिचार कर रहे हैं । इतनी जल्दी इस पर फैसला नहीं हो सकता ।

सहायक पंचायत अधिकारी , जिला एटा

*३०--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में सहायक जिला पंचायत अधिकारी ५ साल से कार्य कर रहे हैं जब कि ३ साल से अधिक नहीं रह सकते, फिर भी ५ साल से एक ही स्थान पर कार्य करना इसका क्या कारण है ?

श्री राम मूर्ति--

पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत सहायक जिला पंचायत अधिकारियों को विकास कार्य के हित में एक जिले में पांच वर्ष तक रखने के आदेश है। एटा जिले के सहायक जिला पंचायत अधिकारी को एटा जिले में लगभग साढ़े चार वर्ष हुए थे और अब उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

रुद्रपुर में श्री एम० आई० खान कोआपरेटिव इन्सपेक्टर की नियुक्ति पर आपत्ति

*३१--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर जिला नैनीताल में कोआपरेटिव इंस्पेक्टर पद पर कौन-कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं तथा उनकी इस पद पर नियुक्ति कब हुई तथा इस समय कितना वेतन दिया जा रहा है? और वेतन में यदि अन्तर है तो क्यों?

श्री बनारसी दास--

रुद्रपुर जिला नैनीताल में ग्रुप १ व २ में तैनात कोआपरेटिव इंस्पेक्टरों से सम्बन्धित वांछित सूचना निम्नप्रकार है--

कोआपरेटिव इंस्पेक्टर का नाम	नियुक्ति की तिथि	मासिक वेतन (५ रु० तदर्थ वेतन सहित)
सर्वश्री--		रु०
१--एम० आई० खान, ग्रुप १	.. २९ जनवरी, १९६४	.. २०५
२--आर० पी० त्रिपाठी, ग्रुप १	.. २९ अगस्त, १९५६	.. २३५
३--आर० के० गुप्ता, ग्रुप २	.. ५ जनवरी, १९६५	.. १३७
४--जी० पी० सक्सेना, ग्रुप २	.. २५ जुलाई, १९६३	.. १२५
५--जी० पी० जोशी, ग्रुप २	.. १४ सितम्बर, १९५८	.. १६१

इंस्पेक्टर ग्रुप १ का वेतन-क्रम २०० से ३५० रु० है और इंस्पेक्टर ग्रुप २ का वेतन-क्रम १२० से २५० रु० है। सभी इंस्पेक्टर अपने वेतन क्रम के अनुसार वेतन पा रहे हैं।

*३२--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (अनुपस्थित) तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि रुद्रपुर के सीनियर कोआपरेटिव इंस्पेक्टर श्री एम० आई० खान को इंस्पेक्टर पद के निर्धारित वेतन-क्रम से कुछ अधिक वेतन दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास--

जी नहीं।

*३३--श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (अनुपस्थित) तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या यह सत्य है कि उक्त श्री एम० आई० खान इसके पूर्व लखीमपुर जिले में सम्पूर्णानगर उपनिवेशन योजना में सीनियर कोआपरेटिव इंस्पेक्टर पद पर थे परन्तु वहां से नौकरी से ठीक काम न करने के कारण निकाल दिये गये थे? यदि हां, तो दुबारा नियुक्त करने का क्या कारण है?

श्री बनारसीदास—

इससे पूर्व श्री एम० आई० खान लखीमपुर जिले के सम्पूर्णानगर में पीलीभीत उपनिवेशन योजना में अस्थायी सीनियर कोआपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्य करते थे। यह योजना कृषि विभाग के अन्तर्गत थी। श्री खान की सेवायें निदेशक, कृषि विभाग ने समाप्त कीं।

श्री खान की सेवा समाप्ति आदेश से मालूम होता है कि निदेशक कृषि विभाग को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। श्री खान के प्रार्थना-पत्र पर उनके अनुभव तथा लम्बी अवधि तक सरकारी नौकरी करने के बाद सेवायें समाप्त होने के परिणाम स्वरूप उनकी कठिन परिस्थिति पर विचार करते हुये, निबंधक ने जब श्री खान की सेवायें कृषि विभाग से समाप्त कर दी गईं, तो उन्हें सहकारी विभाग में इंस्पेक्टर ग्रुप १, के पद पर स्टाफ-ग्रुप-प्रबन्ध में नियुक्त कर दिया।

राजकीय आयुर्वेदिक निर्माणशाला, ऐशबाग, लखनऊ से निकाले गये कर्मचारी

*३४—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २१ अप्रैल, १९६५ को श्री नाथूराम शिक्षक द्वारा नियम ५२ के अधीन दी गई सूचना को जिसमें कि राजकीय आयुर्वेद निर्माणशाला, ऐशबाग, लखनऊ में ४ कर्मचारियों को निकालने की शिकायत की गई थी तथा जिसे माननीय अध्यक्ष ने उनके पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया था उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस पर निदेशक आयुर्वेद से रिपोर्ट मंगाई गई और उस पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकला कि इन कर्मचारियों के खिलाफ जो कार्यवाही विभाग द्वारा की गई, वह ठीक थी।

जौनपुर जिले के शव परीक्षा गृह का स्थान बदलने की प्रार्थना

*३५—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला का शवपरीक्षा घर (चीरघर) ऐसी जगह पर है जहां काफी होटल, जौनपुर का रोडवेज डिपो तथा स्टेशन तथा काफी बस्ती है जहां ३-३, ४-४ दिन की सड़ी हुई लाशों का पोस्टमार्टम होता है और लाश को पानी से साफ किया जाता है जिस से काफी दुर्गन्ध चारों तरफ फैलती है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उसे उस स्थान से हटा कर बाहर कहीं सुनसान स्थान में आधुनिक इमारत बनवाकर लेजाने की कृपा सरकार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जौनपुर जिले का शव परीक्षा गृह (चीरघर) वर्तमान स्थान पर कई वर्षों से है। यहां पर होटल, रोडवेज बस स्टेशन आदि बाद में बने हैं। यह सही नहीं है कि ३ या ४ दिन की सड़ी हुई लाशों जिनका पोस्टमार्टम होता है, उस से दुर्गन्ध चारों ओर फैलती है, क्योंकि शवों की चीर-फाड़ एक बन्द कमरे में होती है। शवों की सफाई भी खुली जगह में नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त शव परीक्षा गृह के चारों तरफ एक पक्की और ऊंची दीवार बनी है जो दुर्गन्ध को फैलने से रोकती है। अतः शव परीक्षा गृह को अन्यत्र हटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह शव परीक्षा-गृह बहुत छोटा है और जैसे झोपड़ी होती है उस तरह का है और ऐसी जगह पर है जो रोडवेज बस स्टेशन से बहुत दूर पर है ? माननीय मंत्री जी किस आधार पर कहते हैं कि वहां तीन-तीन चार-चार दिन बाद

लाश नहीं आती ? वह वहां एक घनी बस्ती में है। तो सरकार को उसे वहां से हटाने में क्या आपत्ति है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

छोटासा मकान तो नहीं है। उसमें २ कमरे २० बाई १४ और ८ बाई १० के हैं और एक बरामदा १२ बाई ८ का है। यह सब मिलाकर उतना ही है जितना एक चीर घर के लिए आवश्यक है।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी अगर माननीय हरगोविन्द सिंह जी से राय ले लें और वह कह दें तो हटा लें और नहीं तो न हटावें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सब आप लोगों की आपसी बातें हैं।

इलाहाबाद में छिवकी डिपो के सामने मजदूर द्वारा अनशन

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—(जिला इलाहाबाद)—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के छिवकी डिपो के सामने सूरज नामक, मजदूर ने जून के अन्तिम सप्ताह में अनशन किया था ? उसके अनशन का कारण क्या था और उसकी मांगें क्या थीं ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। श्री सूरज ने १९ जून, से ५ जुलाई, १९६५ तक अनशन किया। यह अनशन कुछ मांगों के सम्बन्ध में किया गया था जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०४४ पर)

नगला ग्राम में कुष्ठी

*३७—श्री दयाराम शाक्य—(जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार को यह पता है कि फर्रुखाबाद स्टेशन के पास स्थित ग्राम नगला खैरबन्द, परगना पहाड़ा, जिला फर्रुखाबाद में लगभग आधे से अधिक लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं और यह रोग अधिक बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ग्राम नगला खैरबन्द, परगना पहाड़ा, जिला फर्रुखाबाद में लगभग १,००० की जनसंख्या में केवल ४० व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। उनके उपचार देतु जिला अस्पताल फतेहगढ़ में बन्ध है।

*३८—श्री शुकदेव प्रसाद—(जिला गोंडा)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३९—४१—श्री रियासत हुसैन—(जिला मुरादाबाद)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४२—श्री रघुनाथ सिंह—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४३—श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

[३रे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*४४—श्री रतीपाल सिंह (जिला रायबरेली)—

[५वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलरियागंज

*४५—श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खंड बिलरियागंज के केन्द्र पर जो अस्पताल की इमारत बनी है उसमें कितना धन खर्च हुआ है और वह किस सन् में बनकर तैयार हो गई थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बिलरिया गंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत सन् १९६२ ई० में बनी थी और उसके निर्माण में कुल ६१,६८१ रुपये व्यय हुआ।

*४६—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उल्लिखित अस्पताल पर आज तक डाक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। १२ जुलाई, १९६२ से अर्थात् जब से यह अस्पताल खुला है डाक्टर की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। अस्पताल तभी से ट्रेन्ड कम्पाउन्डर द्वारा चलाया जा रहा है। डाक्टर की नियुक्ति न होने का मुख्य कारण डाक्टरों का अभाव है।

*४७—श्री उमाशंकर—

क्या यह भी सच है कि डाक्टर के अभाव में दवाओं का वहां कोई उचित उपयोग नहीं हो पाता ? क्या मंत्री जी शीघ्र कोई डाक्टर वहां भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डाक्टर के अभाव में भी अस्पताल में प्राप्त दवाओं का सदुपयोग हो रहा है परन्तु डाक्टर की कमी तो अवश्य ही है। डाक्टर का प्राविधान बजट में है। डाक्टरों के मिलते ही यहां भी नियुक्ति की जायेगी।

*४८—श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में सिंचाई कूपों का निर्माण

*४९—श्री शुकदेव प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद से गोंडा होते हुये बलरामपुर, तुलसीपुर रास्ते हैं और लकड़मंडी से गोंडा और वहां से बाराबंकी की सरहद तक एवं कर्नलगंज से नवाबगंज जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों सिंचाई के कूप बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त कुएं कब से बन रहे हैं ? कब तक पूरे हो जायेंगे ? और उन सब में कितना व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—

जी हां, यह कूप आर्थिक वर्ष १९६४-६५ से बन रहे हैं तथा स्वीकृत दिनांक से १ वर्ष के अन्दर बन कर पूरे हो जाने की आशा है। इन कुओं पर ऋण तथा अनुदान के रूप में कुल ३७, ३६, २८० रुपया व्यय होगा।

मुबारकपुर अस्पताल की इमारत

*५०—श्री सुरजन राम (जिला आजमगढ़), श्री ऊदल तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत मुबारकपुर राजकीय अस्पताल की इमारत कब बनी और उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त इमारत की छत व दीवारें तथा दरवाजे आदि बेकार हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मुबारकपुर राजकीय अस्पताल नहीं बल्कि एक सहायता प्राप्त (Subsidized) जिला परिषद् का अस्पताल है। उसकी इमारत सन् १९४४ ई० में नजारत कलक्टरी, आजमगढ़ के द्वारा बनी थी परन्तु उसके कागजात न उपलब्ध होने के कारण यह बताना कठिन है कि उस पर कितना धन व्यय हुआ था। इस इमारत की मरम्मत की आवश्यकता है।

मछलीशहर-मड़ियाहूं सड़क पर व्यय

*५१—श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछलीशहर से मड़ियाहू तक जिला जौनपुर के अन्तर्गत सड़क को पक्की कराने के लिये ३,३५,२५० रुपये की धनराशि किस समय स्वीकृत हुई थी और तब से अब तक कितना धन व्यय हुआ ? शेष धनराशि कहां है और कितनी लम्बी सड़क पक्की हुई ?

श्री राम मूर्ति—

यह धनराशि ५ अक्तूबर, १९६० में स्वीकृत हुई थी। अब तक उक्त धनराशि में से कुल ७६,६११ रुपया व्यय हो चुका है। शेष धनराशि जिला परिषद् जौनपुर के वैयक्तिक लेखे के डेवलपमेन्ट फण्ड के मद में है। अभी तक सड़क का कोई भाग पक्का नहीं किया जा सका है। खर्च हुई धनराशि मछली शहर मड़ियाहूं सड़क पर ११ पुलियों के निर्माण तथा मील के पत्थरों को लगाने पर व्यय हुई है।

*५२—श्री इन्द्रपाल (जिला सुल्तानपुर)—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

दहगवां अस्पताल की इमारत

१—श्री उल्फतसिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, ब्लाक दहगवां अस्पताल की इमारत कब तक बन जायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

राजकीक एलोपैथिक औषधालय दहगवां, जिला बदायूं के भवन निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तथा कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

अब मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना आयी है। मैंने उसको देखा नहीं है और कार्य-स्थगन प्रस्ताव की जो सूचनायें आयी है, मैंने उनको स्वीकार नहीं किया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न कल दिया था और आपने उस पर बिचार करने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उसे देखा नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

माननीय मंत्री से आप स्पष्टीकरण देने के लिये कहें।

श्री अध्यक्ष---

अभी मैंने देखा नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतहपुर)---

आपने मेरे विशेषाधिकार की अवहेलता के प्रश्न के लिये कहा कि आपने देखा नहीं है, लेकिन मसला बड़ा गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष---

मसले की गंभीरता तो तब होगी जब मैं देख लूं, अभी मैं क्या कह दूं ?

श्री दीपनारायण सिंह---

मसले की गम्भीरता को देखते हुए आप उसको अभी देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष---

यह आप बिलकुल अनियमित बात कर रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिये कि नियम क्या हैं।

श्री दीपनारायण सिंह---

तो कब तक देखियेगा। मसला बहुत गंभीर है।

श्री अध्यक्ष---

मैं मानता हूं कि वह गंभीर हो सकता है। लेकिन देख तो लूं। अब आप बैठ जाइये।

वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन को सरकारी सचिवालय के वेतन-क्रमों के समान न रखने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब नियम ५२ में मैंने केवल वक्तव्य के लिये एक सूचना स्वीकार की है। इसमें बहुत से माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। माननीय ब्रह्मदत्त मायर, माननीय नरसिंह नारायण

पान्डेय, माननीय बलवान सिंह, माननीय झारखन्डेराय और बहुत से माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। उनका कहना है--

"वेतन अभिनवीकरण समिति ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वह हमें आज देखने को मिल सका। उक्त प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों द्वारा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने में न्याय नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ सचिव, विधान मंडल, सहायक सचिव, समिति अधिकारी तथा मार्शल के विशेष वेतन समाप्त कर दिये गये। इसी प्रकार सचिवालय के कोषाध्यक्ष का वेतन दर भी कम कर दिया गया और उसका पद डाउन ग्रेड कर दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय के वेतन-क्रम आज तक सरकारी सचिवालय के समान रहे हैं और अब इस प्रकार वेतन दरों में असमानता लाकर तथा कुछ अधिकारियों को डाउन ग्रेड करके एक प्रकार से सदन का अपमान किया गया है। इससे सदन के माननीय सदस्यों में घोर असन्तोष एवं क्षोभ की तीव्र भावना उत्पन्न हो गयी है और सदन से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी इससे असन्तुष्ट और बेचैन हैं। इससे विधान सभा के कार्य पर कुप्रभाव पड़ता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय है। अतः हम माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि नियम ५२ के अन्तर्गत इस विषय को स्वीकार करके माननीय मुख्य मंत्री से अविलम्ब सदन में स्थिति स्पष्ट करा दी जाय।"

माननीय राजस्व मंत्री, इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

भाल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

श्रीमन्, २४ अगस्त, को देदूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

इससंबंध में मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने वक्तव्य के लिये कहा। इसी तरह के और भी विभाग हैं। जो कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई है, कुछ और विभाग भी ऐसे हैं जिनके साथ असमानता बरती गयी है। इसलिये सदन में एक रोज विवाद करा दें तो अच्छा होगा जिससे सभी विभाग उसमें सम्मिलित हो जायं।

श्री अध्यक्ष--

उसमें यह है कि उस पर विवाद के लिये कोई तारीख निश्चित की जायगी। उसमें इन्तजार केवल इस बात का है कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट सदन में आ जाय ताकि उस पर विचार कर सकें।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

अभी नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य देने के लिये जो आपने स्वीकार किया है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह वक्तव्य अलग से हो जाय। अभी मैंने सुना है कि कैबिनेट कुछ और केसेज को कंसीडर कर रही है। तो हम यह चाहते हैं कि इस पर अलग से वक्तव्य हो जाय।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

वह रिपोर्ट हमको नहीं मिली है। वह हमको भी मिल जाय।

श्री अध्यक्ष--

वह रिपोर्ट हिन्दी में अनुवादित हो रही है। बहुत जल्द आपको देने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री दीपनारायण सिंह--

अंग्रेजी की प्रति ही हमको दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको अंग्रेजी में आवश्यकता है तो आप आफिस से ले सकते हैं । वहां से आपको मिल जायगी ।

प्रदेश की नहरों एवम् नलकूपों द्वारा सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय रघुनाथ सिंह जी की जो सूचना आई है उसमें वह कहते हैं कि यद्यपि अवर्षण है परन्तु फिर भी नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा है। उनका मतलब केवल यह है कि नहरें सूखी पड़ी है । इस विषय को भी आप अपने वक्तव्य में शामिल कर लीजियेगा कि नहरों में पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है । यह कहा जाता है कि अगस्त और सितम्बर में यह नियम है कि नहरों को पानी न दिया जाय तो इस संबंध में भी मंत्री जी आप स्पष्टीकरण दे दीजियेगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरी भी एक नियम ५२ की सूचना थी कि बस्ती जिले के इटवा क्षेत्र में ११० गावों में जड़हन का बीज न देकर भदई धान का बीज दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना यह है कि बस्ती जिले में जड़हन का बीज न देकर भदई धान का बीज दे दिया गया । इसको भी मैं विशेष ध्यान देने के लिये माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं ।

अब और जितनी भी शेष नियम ५२ की सूचनायें हैं उन सब को मैं संबंधित मंत्रियों के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मैंने भी एक सूचना आपके पास भेजी थी मथुरा की । वहां पर वेटिरनरी कालेज के विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

उसको भी मैंने उचित कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

श्री चन्द्रबली सिंह--

गोंडा जिले में स्थिति खराब है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

(स्वास्थ्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि कल दोपहर बाद जब यह हमारा सदन समाप्त हुआ तब अधिष्ठाता महोदय ने ऐलान किया था कि माननीय माल मंत्री कल वक्तव्य देंगे, सूखा के बारे में। आज वह एजेन्डे पर नहीं है। क्या वह बयान आज नहीं हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

वह बयान अभी देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, अभी काफी समय है और आज कोई कार्य-क्रम भी नहीं है, फिर आप जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इस समय विषय दूसरा है, फिर आप आगे कह लेंगे।

श्री उग्रसेन--

मेरा कहना यह है कि जब तक सब पर वक्तव्य और वाद-विवाद न हो जाय तब तक सदन बैठे।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्यक्रम में घोषणा वाला भाग आपने नहीं लिया और आगे बढ़ गये। आपसे मैं निवेदन कर दूं कि कल मैंने घोषित किया था कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी आज इसकी घोषणा नहीं करेंगे कि वसूली बन्द कर दी जायगी तो मैं अनशन करूंगा। उन्होंने भी कहा था और माननीय नवलकिशोर जी के कहने से उसे मैंने स्थगित कर दिया था। तो आज वे वक्तव्य दे दें और इसकी घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, अब आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, उन्होंने घोषित किया था कि वे बयान देंगे, अगर वे बयान नहीं देते हैं तो उनको अनशन करना चाहिये, ऐसे मुझे अनशन में विश्वास नहीं है।

एम० बी० बी० एस० के पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये सुरक्षित स्थानों को समाप्त करने तथा अनुसूचित छात्रों के संरक्षण को प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में मंत्री का वक्तव्य

श्री दाऊदयाल खन्ना--

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर में एम० बी० बी० एस० कोर्स में जो सीटें १९५६-५७ के पूर्व अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित थीं वह १९५६-५७ के शैक्षिक सत्र से पिछड़ी जातियों के लिये भी कर गयी थीं। इन दोनों कालेजों में विद्यार्थियों की भर्ती के लिये प्री मेडिकल परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है, जिस पर विश्व विद्यालय के नियम लागू होते हैं। उक्त निर्णय को कार्य रूप देने के लिये विश्व विद्यालय के नियमों में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता थी। परन्तु वांछित संशोधन १९६३-६४ तक नहीं हो पाया था, इसलिये उक्त सीटें केवल

[श्री दाऊदयाल खन्ना]

अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित विज्ञापित की जाती रहीं। नियमों में वांछित संशोधन विश्वविद्यालय ने १९६४–६५ के शैक्षिक सत्र आरम्भ होने के पूर्व कर लिया था, इसलिये उस सत्र में भर्ती के लिये प्री-मेडिकल परीक्षा की नोटिस जारी करते समय विश्वविद्यालय ने उक्त सीटों को, जिनकी संख्या उस समय लखनऊ मेडिकल कालेज में ५ और कानपुर मेडिकल कालेज में ६ थी, अनुसूचित और पिछड़ी दोनों जातियों के लिये सुरक्षित विज्ञापित किया। इन सुरक्षित सीटों के लिये विद्यार्थियों को प्री-मेडिकल परीक्षा में कम से कम ३० प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है जब कि अन्य विद्यार्थियों के लिये ३३ प्रतिशत। अतएव, १९६४–६५ की प्री-मेडिकल परीक्षा के फल के आधार पर उक्त ११ सीटों में से १० सीटों पर पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी आ गये और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को केवल १ सीट मिली। इस से अनुसूचित जातियों में पर्याप्त असन्तोष की भावना फैल गयी, और सदस्यों ने यह मामला सदन में भी उठाया। तब सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि अनुसूचित जातियों के साथ पिछड़ी जातियों को जोड़ देने से अनुसूचित जातियों को पहले से प्राप्त सुविधाओं में जो कमी हो गयी थी उस पर बिचार किया जायगा।

उक्त प्रश्न पर बिचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो सीटें १९५६–५७ के पूर्व अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित थी उन्हें उन्हीं जातियों के लिये सुरक्षित रखा जाना चाहिये। इस निर्णय से लखनऊ विश्वविद्यालय को भी अवगत करा दिया गया और उन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन करके उसी प्रकार विज्ञप्ति जारी की जिसके अनुसार यदि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी वांछित संख्या में न्यूनतम अंक यानी ३० प्रतिशत नहीं पाते हैं तो इस प्रकार उक्त सुरक्षित स्थानों में से जो स्थान रिक्त रहेंगे उन पर वह सभी लड़के भर्ती किये जा सकेंगे जो नियमानुसार प्री-मेडिकल परीक्षा में मेरिट के अनुसार भर्ती होने के अधिकारी होंगे।

इन नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय ने प्री-मेडिकल टेस्ट के नतीजे भी घोषित कर दिये हैं और भर्ती किये जाने वाले विद्यार्थियों का चुनाव भी कर लिया है।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं एक स्पटीकरण चाहता हूं। आपके पास मैंने वह सर्कुलर भी भेजा है जिसके अनुसार वह संरक्षण कायम किया गया है। और जो माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि चूंकि अनुसूचित जाति के लड़के नहीं आ पाते थे इसलिये उनके हितों की रक्षा के लिये सरकार ने यह संरक्षण किया है, लेकिन यह बिलकुल उसके उल्टा हुआ है। इस वर्ष न कोई अनुसूचित जाति का लड़का लिया जा सका और न बैकवर्ड क्लास का लड़का ही लिया जा सका है। सर्कुलर में यह है कि जो जगहें अनुसूचित जाति के लड़कों से नहीं पूरी हो सकें उनको तमाम लड़कों में से मैरिट के आधार पर भर दिया जाय। इस तरह से हमारे संविधान का जो आर्टिकिल १५ है जिसके अन्तर्गत खासतौर से अनुसूचित जातियों के लिये संरक्षण और विशेष रूप से बैकवर्ड जातियों के हितों की रक्षा करने की बात रखी है, दोनों का हनन् हुआ है। तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सर्कुलर का उल्टा अर्थ लगाया गया है इस प्रकार के आदेश देंगे ताकि उनकी रक्षा हो सके और मेडिकल कालेज में इन दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके!

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उन्होंने रखा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे अल्पसूचित प्रश्नों द्वारा साफ करा लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

यह प्रश्न श्रीमन्, मैंने उठाया था। इसमें ३० प्रतिशत से ज्यादा नम्बर पाने वाले हरिजन तथा बैकवर्ड लड़कियों को नहीं लिया गया है। "लिखने गये थे सुधाकर, लिख गये राहू", वाली बात इसमें हुई है। तो मेरा निवेदन है कि उनको वहां भरती करवाया जाय और नहीं तो आप इस जी० ओ० को हाई कोर्ट में भिजवा दीजिये, मुकदमा हम लड़ देंगे। कम से कम आप मंत्री जी से इस बारे में आश्वासन तो दिलवायें।

कतिपय विषय

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मैंने भी श्रीमन्, आपसे प्रार्थना की थी कि यह सदन आज से चार दिन के लिये स्थगित हो जायगा। मैं आज गृह मंत्री जी से मिला था। पूर्वी जिलों में चीन से और पाकिस्तान से लाखों नोट छपकर आ गये हैं और उससे हमारी मुद्रा पर बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। गृह मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उनके पास भी इस प्रकार की सूचना है। तो क्या वे इस संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि यह जाली मुद्रा रोकी जा सके?

श्री उग्रसेन--

जाली मेम्बरों की तरह से यह भी चल गयी।

रिपब्लिकन पार्टी से श्री हलीमुद्दीन तथा श्री श्यामलाल का निष्कासन

श्री अध्यक्ष--

रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पहले जो सूचना आदरणीय सदन के सामने मैंने रखी थी, वह माननीय राहत मौलाई साहब ने भेजी थी। अब एक दूसरी सूचना उसके विपरीत यादवेन्दु जी ने भेजी है और माननीय खेमचन्द जी ने एक लेख भी दिखाया जिस पर हस्ताक्षर चार, पांच सदस्यों के हैं। उसको मैं पढ़े देता हूं--

"भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के निर्देशान्तर्गत सर्वश्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई और श्यामलाल कुछ परिवाद एवं अनुशासनहीनता के दोषी होने के कारण रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य नहीं हैं। विधान सभा रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारी निम्नलिखित हैः

नेता--श्री खेमचन्द।

उप नेता--श्री भगवान दास यादवेन्दु।

सचेतक--श्री भूपसिंह।

मंत्री--श्री बनवारी लाल विप्र।

कोषाध्यक्ष--श्री अब्दुल बशीर खां।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवर्षण से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

इस वर्ष वर्षा काफी विलम्ब से आरंभ हुई जिससे खरीफ की बुआई पिछड़ गई। इसके बाद भी पर्याप्त वर्षा न होने के कारण फसल पर बुरा असर पड़ रहा है जिससे सभी ओर चिंता व्याप्त हो गई है।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

सरकार भी इस दैविक कठिनाई से काफी चिंतित है। सरकार का प्रयास यही रहा है अपने सीमित साधनों को देखते हुए इस कठिनाई में जो कुछ सहायता कृषकों की कर सकें करें और जो कुछ साधन इसके पास उपज बढ़ाने में सहायता करने के हैं उनको पूरा-पूरा उपयोग करे। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता को ऐसे आदेश दिए गए हैं कि सारी नहरों को उनकी पूरी क्षमता पर चलाया जावे और प्रभावशील तरीके उसके लिए अपनाये जावें कि जहां-जहां नहरें गई हैं वहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। नलकूपों की सिंचाई शुल्क में दो तिहाई राज सहायता देने की तिथि ३० सिम्बर, १९६५, तक बढ़ाई जा चुकी है ताक कृषक इस सिंचाई के साधन का पूरा-पूरा उपयोग कर सकें। जिलें में अधिकारियों को ऐसे आदेश भी दिए जा चुके हैं कि वे गूलों को तत्काल ठीक करा दें और निरीक्षण करके इस बात को सुनिश्चित कर लें कि ये नलकूप बराबर चालू रहें। मरम्मत के लिए सीमेंट देने के लिए इस कार्य को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

कृषकों की ओर सहायता के उद्देश्य से ऐसे आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में मालगुजारी तथा कृषि बीज गोदामों के देयों की वसूली के लिए कोअरसिव प्रोसेज बिलकुल न जारी किया जावे। ऐसे क्षेत्रों में तकावी की वसूली भी बन्द कर दी गई है। जिला अधिकारियों को ये भी आदेश है कि जहां वर्षा के अभाव का गहरा प्रभाव पड़ा हो वहां मालगुजारी तथा सिंचाई शुल्क वसूल न करें। चारे की कमी को दूर करने के लिए उनसे कहा गया है कि सरकारी ठेकेदार से वे रियायती दर पर चारा मंगा लें। वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के निकट अपने वनों में चराई की सुविधा प्रदान कर दी है।

जिला अधिकारियों के पास अहेतुक सहायता तथा आपदकालीन तकावी के लिए रुपया पहले से उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि भी दी जावेगी और टेस्ट वर्क्स खोलने का प्रबंध भी किया जायेगा।

सरकार बड़ी सावधानी से स्थिति का अध्ययन कर रही है और उसका प्रयास यही होगा कि इस संकट में कृषकों की जो सहायता वह कर सके अवश्य करे। मैं आशा करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य इस बात का विचार न करते हुए कि वे किस दल के हैं इस कार्य में सरकार का हाथ बटायेंगे और ऐसा कोई कार्य न करेंगे कि जिससे सरकार के इस प्रयास में कोई बाधा पड़े या कृषकों का मनोबल कम हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

वहां श्रीमन् ४-५ रोज तक के फाके हो रहे हैं। १९ रुपया मन भूसा बिक रहा है। मंत्री जी ने कहा कि उस दिन मौजूद नहीं थे और कलेक्टर लिख कर दे दें तो हम करेंगे, लेकिन अगर वह नहीं लिखेंगे तो क्या हम उनको टांग कर लावें? आप हमारी बात को मानकर चलें। शास्त्री जी पूर्वी जिले के रहने वाले हैं, ठाकुर साहब हैं, वह हमारे साथ चलें। मेरी सलेमपुर तहसील के २६ नलकूप खराब ह....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाएं। संक्षेप में एक आध प्रश्न कर लीजिए।

श्री उग्रसेन--

हम भूखों मर जायं--इस पर उनकी क्या व्यवस्था है? या तो भूखों मरने की आजादी दीजिए....

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

एक-एक सुझाव दे दीजिए, यही हो सकता है।

श्री उग्रसेन--

मेरा सुझाव यह है कि जिन कलेक्टरों ने ऐसी स्थिति पैदा की है उनको मुअत्तल किया जाय ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

सरकार ने जो अपने वक्तव्य में यह कहा है कि जहां पानी न बरसने से गहरा प्रभाव पड़ा है वहां वसूली रोक दी गयी है, तो गहरा प्रभाव को नापने का मापदण्ड क्या है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

माप दण्ड यह है कि जहां-जहां पानी नहीं बरसा है । लगभग सारे सूबे में ही गहरा प्रभाव है । (व्यवधान)

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बहराइच)--

पूर्वी जिलों में, बस्ती में विशेष कर, अभी तक वसूली हो रही है । क्या उसको रोकने के आदेश देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

आर्डर जारी हो गये हैं, सब रुक जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, बरेली जिले में, और मैं समझता हूं पूरे सूबे में, जहां ब्लाकों से लोगों ने कुएं बनवाने के लिए तकावी ले रखी है वे कुओं को केवल सीमेंट न मिलने के कारण नहीं बनवा सके हैं । तो क्या सरकार ऐसे आदेश देगी कि ऐसे लोगों को सीमेंट फौरन दे दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उससे पहले गूलों को दुरुस्त कराने की जरूरत है । नये कुओं के बनिस्बत यह काम जरूरी है । (व्यवधान)

श्री केशरी प्रसाद पांडे (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार मछलीशहर और मड़ियाऊं को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की कृपा करेगी क्योंकि वहां बहुत नुकसान हुआ है और जहां डेढ़ लाख एकड़ पैडी बोई जाती थी वहां १०० बीघे ही बोई जा सकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अभी ऐसा संभव नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

वक्तव्य के पैराग्राफ ३ में कहा गया है कि कोअरसिव मेथड अख्तियार न किए जाएं, तो क्या अब तक वे इस्तेमाल किए जाते थे और वे क्या थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वारंट और कुर्की , यही कोअर्सिव मेथड्स हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, आप कृपया बैठ जाइए, आपको मैं प्रश्न करने का मौका दूंगा ।

श्री उग्रसेन--

पहले हमारे सब जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया जाय ....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ तो जायं । (व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बहुत से नादेहन्द लोग होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की वगैरह निकलती है । मैंने अब आदेश दिया है कि यह सब न हो ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों पर सिंचाई विभाग से लिए गये पानी का पूरा कर माफ करने की कृपा करेंगी और किसानों को व्यक्तिगत कुएं, पंपिंग सेट आदि लगाने के लिए आर्थिक सहायता देगी ? (व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन--

३० सितम्बर तक के लिए जैसा बयान में बताया ट्यूबवेल के सिंचाई शुल्क का २/३ माफ कर दिया है सिंचाई का ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

बुन्देलखंड के अन्दर २० से २५ रुपये तक का जब घास और भूसा मिल रहा है और हजारों की संख्या में जानवर वहां देहातों में अधमरे पड़े हैं इसलिए यदि यह बात सही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पूरे बुन्देलखंड के इलाके को अकालग्रस्त घोषित करने को तैयार हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अभी फिलहाल यह संभव नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या माल मंत्री जी के पास ऐसी कोई तालिका है कि प्रदेश के किन-किन जिलों में अवर्षण का बुरा प्रभाव पड़ा है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बनवा रहे हैं । २३ तारीख को प्रस्तुत होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर और मेरठ को मिला करके सारे प्रांत को अगर हम चाहें और सरकार हमारी मदद करे तो इतना धान पैदा कर सकते हैं कि वह सारे प्रदेश को हम दिला सकते हैं । क्या सरकार जो नहरें बन्द पड़ी हैं, जिनकी वजह से जो धान बोया हुआ है वह भी सूख रहा है ? उनको खुलवा देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ऐसे आदेश जारी किये गये हैं नहर विभाग के द्वारा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज स्थिति पूरे सूबे की ऐसी है जिससे सरकार भी चिंतित है और जो भूमिहीन लोग हैं जिनका काम केवल धान के ट्रांसप्लान्टेशन का होता है उनके लिए कोई काम नहीं रह गया है क्योंकि उसका कोई काम नहीं हो रहा है । वे भूखों मर रहे हैं । ऐसी स्थिति को देखते हुए क्या सरकार ऐसे इलाकों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था उनके लिए करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जहां-जहां उचित होगा वहां-वहां खोलने की व्यवस्था करेंगे। जहां तक दुकानों के खोलने का प्रश्न है वह खाद्य विभाग से संबंधित विषय है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने जिलों में तकावी और वसूली के आदेश कर दिए गए थे और अब बन्द कर दिये गए हैं, क्या उनमें अलीगढ़ भी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैंने तो सूबे भर के लिए कहा है। उसमें अलीगढ़ का कौन-सा स्थान है निश्चित रूप से २३ तारीख को बता देंगे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो टेस्ट वर्क आप खोलने का विचार कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट वर्क्स में मजदूरी पुरानी रेट पर है और जो आजकी महंगाई के जमाने में नहीं के बराबर है, उसमें मैनपावर मोबिलाईजेशन स्कीम के अनुसार क्या व्यवस्था की जावेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

रेट में जाते हैं तो बहुत देर लग जावेगी और आदमी मर जायेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह देखते हुए कि बाराबंकी स्थित हैदरगढ़ के इलाके में चार फसलें बराबर खराब होती गई थीं और इस ओर बराबर ध्यान दिलाया जा रहा था, वहां पर टेस्ट वर्क खोल दिया जाय और देहाती क्षेत्रों में जो खाद्यान्न की दूकानें हैं वहां पर गल्ला नहीं है, वहां गल्ला भेजने की व्यवस्था की जाय ? वहां कुंए सूख गए हैं, नहरों में पानी नहीं जा रहा है ... (व्यवधान) तो माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि वहां टेस्ट वर्क खोलें ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

मैं हरदोई जिले के बारे में कहना चाहता हूं। अखबारों में आपने भी पढ़ा है और माननीय मंत्री महोदय ने भी पढ़ा है कि १४ से १७ इंच तक यानी नार्मल से भी कम पानी हरदोई जिले में बरसा है और तीन-चार जिले अखबारों के मुताबिक बिलकुल तबाह है, उनमें हरदोई सबसे ऊपर है। तो मेरा सुझाव यह है कि श्रीमन्, १२ साल १३ साल का बकाया जो है काश्तकार के ऊपर क्योंकि पिछले सैलाबों में उसको बराबर नुकसान उठाना पड़ता रहा है, नौ-नौ नदियां हरदोई जिले से निकलती हैं और इस साल सूखा पड़ गया तो श्रीमन्, मुल्तवी, मुल्तवी हर साल मुल्तवी, आखिर इसकी कोई सीमा है ? कभी सरकार उस बकाया को और उस लगान को माफ करने की भी बात सोच रही है जिसके लिए कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बराबर राइट आफ करने के लिए कह रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हम यह मानते हैं कि हरदोई में पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, लेकिन इस वक्त जो वसूलयाबी चल रही थी उसको हम रोके दे रहे हैं, बकाया को बाद में देखा जायगा।

श्री जे० पी० मिश्र--

२५ लाख रुपया बकाया पड़ा हुआ है। (शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, हमारी एक संवैधानिक आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष--

संवैधानिक आपत्ति इस समय नहीं उठ सकती । केवल व्यवस्था का प्रश्न, प्वाइंट आफ आर्डर उठ सकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

व्यवस्था का ही प्रश्न है, सुन तो लिया जाय ।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बतलाया कि नहरों को चलाया जाय इसके आदेश दे दिये गये हैं, लेकिन उनकी जो गूलें हैं, वह चौमासे में खराब हो जाती हैं, उनमें से पानी नहीं निकलता, तो क्या उनको भी फौरन साफ करा देंगे जिससे कि पानी निकलन लगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमने कह दिया है कि जिस तरह भी चल सकें चलायी जायं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, हमारा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय माल मंत्री ने एक बयान पढ़ा और उसके बाद तमाम विरोधी पक्ष के अन्य सदस्यों ने और सरकारी पार्टी के भी अनेक सदस्यों ने सवाल पूछे । हर सवाल में माननीय मंत्री जी का यह जवाब आया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, हर जिले में कहा गया कि अकाल पड़ा है । मैं इसी व्यवस्था के संबंध में आपका ध्यान संविधान की धारा २५६ और २५७ की तरफ आकृष्ट करूंगा कि प्रदेश में कांस्टीट्यूशनल ब्रेक-डाउन हो गया है । संवैधानिक तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी स्थिति कायम नहीं रख सकी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बैजनाथ सिंह, आप बैठ जाइये । श्री काशीनाथ मिश्र ने जो प्रश्न उठाया, वह वैधानिक प्रश्न नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अभी आपने हमारी पूरी बात तो सुनी नहीं । अभी तो मैं और धाराओं की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्रीमन्, यह सरकार इस संविधान के अन्तर्गत काम करने के लिए मजबूर है और आपका कर्त्तव्य यह देखना है कि यह सरकार उसके अन्तर्गत रह कर काम करे । यह सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है । धारा २५६, २५७ के मुताबिक यह काम नहीं कर रही है । आपने पहले दिन मंत्री जी के न रहने से २ बजे हाउस खत्म कर दिया, कल तीन बजे खत्म कर दिया और आज भी हाउस के सामने अब कोई काम नहीं है । इस प्रकार यह सरकार अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पा रही है । ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है वह स्टेट लेजिस्लचर को भंग कर दे । सरकार को बरखास्त करे और दूसरा चुनाव कराकर नयी सरकार बनाये । आज यह उत्तर प्रदेश की सरकार ५२ जिलों में खाने-पीने का इंतजाम नहीं कर पा रही है, व्यवस्था और सुरक्षा कायम नहीं कर पा रही है । अतः इसको खत्म करने और स्टेट लेजिस्लेचर को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जितनी बहस माननीय काशीनाथ जी ने की है वह असंगत है और वर्तमान संदर्भ से उसका कोई संबंध नहीं है । इसको मैं रूल आउट करता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या आप उसका कोई कारण भी देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए, या सदन छोड़िए ।

(श्री काशीनाथ मिश्र ने अपना स्थान ग्रहण किया ।)

श्री अध्यक्ष (श्री उग्रसेन से)--

आप बैठ जाइए (श्री उग्रसेन के स्थान न ग्रहण करने पर) मार्शल, माननीय उग्रसेन को सदन के बाहर जाने के लिए सहायता कीजिए ।

(श्री उग्रसेन ने अपना स्थान ग्रहण किया ।)

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्नाव जिला आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है, वहां भी सूखा है मैंने कल जिलाधीश से बातचीत की थी । उन्होंने बताया कि तकावी या मालगुजारी की वसूलयाबी को स्थगित करने के बारे में उनके पास अभी तक कोई आदेश नहीं पहुंचे हैं । तो क्या यह आदेश जो आपने अभी जारी किए हैं इन को मंत्री जी तत्काल उन्नाव को भी भिजवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

आज ही वायरलेस से सब जगह भेज देंगे ।

श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि ललितपुर सब-डिवीजन जिसमें ललितपुर और बहरौनी तहसीलें आती हैं, वहां सूखा भुखमरी और जानवरों के मरने की खबरें सरकार तक पहुंची हैं और पहुंचाई गई हैं । तो क्या वहां पर सरकार गल्ले का और घास-भूसे के चारे का इंतजाम फौरन करेगी और वहां राशन शाप्स शीघ्र खुलवायेंगी ? और क्या ललितपुर और महरौनी तहसीलों में जल्द से जल्द टेस्ट वर्क अधिक प्रभावित क्षेत्रों में खुलवायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिलाधीशों को आदेश है कि वह टेस्ट वर्क की जरूरत के लिए जल्द रिपोर्ट करें ताकि इंतजाम किया जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

मेरे केवल दो सुझाव हैं, आशा है कि माननीय मंत्री जी उन पर जरूर ध्यान देंगे । एक तो यह है कि जो आदेश दिए गए हैं वह जनता के हित में और समायानुकूल हैं, लेकिन यह देख लिया जाय कि उन पर अमल होता है या नहीं । क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि उन पर नीचे के कर्मचारी अमल नहीं करते । एक बात तो यह है ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि बुलन्दशहर, मथुरा और अलीगढ़ के जिलों में मांट ब्रांच जो नहर है वह हमेशा पानी की कमी बताकर सूखी रखी जाती है और उसको खारिज कर दिया है । उनको क्या मंत्री जी फिर से चलवाने का आदेश देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जहां तक हमारे आदेशों की तामील का संबंध है जो तामील नहीं करेंगे उनकी हम पूरी खबर लेंगे और नहरों का जहां तक ताल्लुक है उस विभाग के लोग एक्सपर्ट हैं, मौके को देखकर जो मुनासिब होगा वह अवश्य करेंगे।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)--

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और संतोष प्रकट करता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। हमारे मिर्जापुर क्षेत्र में पछारी में साढ़े १२ लाख की आबादी है और ३४ लाख के करीब मवेशी हैं। सब से बड़ी समस्या वहां पर मवेशियों की है, उन के खाने के लिए पीपल के पत्ते तक नहीं रह गये हैं। क्या उनके लिए चारे और आदमियों के लिए मंत्री जी शीघ्र राशन की दुकानों की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमने गवर्नमेंट कांट्रेक्टर भूसे के लिए मुकर्रर कर दिया है और जिलाधीशों को आदेश हैं कि वह अपनी भूसे की जरूरत को बतावें।

श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव'--

श्रीमन्, मध्य प्रदेश में.....

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, हम चालीस बार खड़े हो चुके हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

हमारी मिर्जापुर जिले का राबर्टसगंज दुद्धी ऐसा अभावग्रस्त हलका है जहां कि सन् ५२ में भी हवाई जहाज से खाना गिराना पड़ा था वहां की जनता आज भी पीपल के पत्ते, जड़ें और गुठलियां खाकर गुजर कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया जाय, वहां पर पूरी तौर से राशनिंग लागू करें और अनेक प्रकार की वसूलियां बन्द करें और ऐसी व्यवस्था करें जो कि असहाय, निर्धन और अपाहिज हैं उन को खाने की व्यवस्था हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमने जंगली क्षेत्र में चराई का प्रबंध कर दिया है और जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री राधेश्याम शर्मा--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी-किसी माननीय सदस्य को तो २-२ बार बोलने का मौका दिया जाता है और किसी-किसी को एक बार भी मौका नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्री रामचन्द्र विकल को आपने एक मौका दिया।

श्री सुरेन्द्रविक्रम सिंह (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, खरीफ की फसल भी वर्षा के अभाव में नष्ट हो गयी है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम लगान तो माफ किया जाना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

लगान तो मौके पर माफ किया जाता है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, यह जो आदेश दिये गये हैं....

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैं कम से कम ४० बार खड़ा हुआ हूं पर आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। यह क्या बात है?

श्री अध्यक्ष--

यह मुझे अधिकार है कि जिसे मैं चाहूं बोलने की आज्ञा दूं। इसके बारे में पूछने का किसी को अधिकार नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं बहिर्गमन करता हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र ने सदन का परित्याग किया।)

श्री रामायणराय--

श्रीमन्, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो उन्होंने आदेश दिये हैं, उसमें हाइडिल के अधिकारियों को कोई आदेश उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। परिणाम यह न हो कि बहुत से नलकूपों का चलना बन्द हो जाय। तो क्या माननीय मंत्री जी हाईडिल के अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश देने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों को बराबर बिजली मिलती रहे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जब ट्यूबवेल चलते रहेंगे तो हाईडिल वाले भी बिजली देंगे।

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

दफा ५२ में मैंने अपनी हंडिया तहसील और पूरे जिले भर, जमुनापार, मेजा, करछना तहसील दुआबा एरिये में सिराथू, चायल, मंझनपुर और गंगापार में हंडिया, फूलपुर, सुराव आदि तहसीलों में पूरे अकाल की स्थिति है, के बारे में सूचना दी थी। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब जिलाधीशों की रिपोर्ट इसी ढंग की है जैसी कि हमारी और विरोधी पक्ष के लोगों की है, तो इस इलाके में अकाल की स्थिति घोषित क्यों नहीं की जाती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अभी वह मौका नहीं आया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मैं अपने विधान सभा के क्षेत्र स्याना की बात बताता हूं । वहां पर पहले बहुत सूखा पड़ा, फिर जुलाई के अंतिम सप्ताह में काफी बारिश हुयी और फिर वहां पर सूखा पड़ा ।

श्री अध्यक्ष—

आप जो सुझाव देना चाहते हैं दे दें ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

श्रीमन्, मैं सुझाव देता हूं । यह तो माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है कि जो तकावी के सम्बन्ध में आदेश दिये हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव के जो ड्यूज हैं, उनको भी स्थगित किया जाय और इसके साथ-साथ मैं माननीय रामायणराय जी की बात का भी समर्थन करता हूं कि बिजली की खराबी से बहुत ज्यादा नलकूप बन्द रहते हैं । लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हाईडिल विभाग को भी आगाह किया जाय कि वे नलकूपों को बराबर बिजली देते रहें ।

श्री अध्यक्ष—

इसका जवाब तो दे दिया गया है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

श्रीमन्, मैंने कोआपरेटिव्ज के बारे में सवाल किया है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है ।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सुल्तानपुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है और जहां पर खरीफ की फसल सोलह आने खराब हो गयी है । तो क्या माननीय मंत्री जी उस सुविधा के अलावा जो दी गयी है वहां पर खासतौर से उन तहसीलों में और उन स्थानों पर जहां की स्थिति गम्भीर है, विशेष सुविधा देने के लिये तैयार है जैसे मैन पावर स्कीम है, गल्ले की सस्ती दूकाने हैं, तकावी बांटना और लगान मुल्तवी करना पानी की सुविधा देना, आदि ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तकावी के लिये आदेश दे दिया है, जहां जरूरत होगी देंगे ।

(श्री गनेशीलाल चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

अनेक सदस्य—

एक इधर से और एक उधर से बुलाया जाय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो कहा कि इधर से शुरू किया है, फिर उधर आऊंगा ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

जो पूरे प्रदेश को बिगाड़ रहे हैं उन्हीं को आप मौका दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आजमगढ़ जिले में पानी न पड़ने से ६ तहसीलों में हाहाकार मचा हुआ है । तो जो आपत्तकालीन तकावी का आदेश भेजा है उसके साथ ही माननीय मंत्री जी यह भी आदेश देंगे कि उस पर कोई ब्याज न लिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इंटरेस्ट की बात कायदे की है, वह कायदे से तय होगी ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

गूलों का जिक्र किया गया तो मेरी जानकारी में यह आया है कि जिन क्षेत्रों में चकबन्दी हो गयी है खास कर मेरे क्षेत्र में पुरानी गूलें चकबन्दी की वजह से खत्म हो गयीं और नई गूलें बनी नहीं, जिसकी वजह से सिंचाई विभाग से पानी न रबी में मिल सका और न खरीफ में मिल सकेगा । तो गूलों के लिये क्या राजस्व मंत्री जहां चकबन्दी हो गयी है वहां पर तत्काल व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां-जहां ऐसी गड़बड़ियां नहीं हैं वहां तो काम करें ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

पिछले वर्ष मेरठ में बाढ़ आई थी तो मालगुजारी स्थगित करने के लिये वायदा किया गया लेकिन आज तक स्थगित नहीं की गयी और न माफी की गयी । तो क्या माननीय मंत्री मालगुजारी माफी करने, जानवरों को चारा दिलवाने तथा धान के लिये पानी का प्रबन्ध वहां करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बहस है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं । लेकिन कम से कम यह सुझाव दे दूं । एक तो अंग्रेजी सरकार नहरों में पानी चला देती थी । ऐसे मौके पर इस सरकार ने पानी बिलकुल कम कर दिया है । जो बिजली के लट्ठे गाड़ दिये हैं मेरी तहसील में . . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल नहीं कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

जो माननीय मंत्री ने घोषणा की है दो तिहाई और एक तिहाई छूट देने की क्या वह बेतवा की नहरों पर अप्लाई होगा या नहीं ? दूसरे, बुन्देलखंड में जिनके पास गेहूं खरीदने की शक्ति नहीं है, क्या उनको एक या दो रुपये का आटा देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जहां तक आटे की बात है, उससे मेरा सम्बन्ध नहीं है । बेतवा की जो बात नहरों की कही उसके बारे में कोशिश करेंगे ।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

जो सूखा पड़ा है सारे प्रदेश में है । जो ऐलान किया है वह केवल नलकूपों से सम्बन्धित है । क्या माननीय मंत्री यह आदेश देंगे कि जहां नहरों से सिंचाई होती है वहां भी यह छूट लागू हो जाय ?

[श्री रामकिशोर वर्मा]

दूसरा सुझाव यह है कि आपने जिलाधीशों को अधिकार दे दिया है कि जहां वह चाहें वहां लगान मुल्तवी कर दें या सहायता का कार्य शुरू कर दें । तो क्या वह स्पष्टतया आदेश देंगे कि विधान सभा के सदस्यों से मिलकर जिलाधीश इस बात की व्यवस्था करें कि उस जिले में क्या आवश्यकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमारी इच्छा है कि कलेक्टर नान-आफिशल्स को एसोशिएट करके, जहां जैसी जरूरत हो, वैसी व्यवस्था करें ।

श्री उग्रसेन--

सारे उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है । हम भूखों मर रहे हैं । जो मंत्री जी ने जवाब दिया, उससे हमारे पेट में रोटी पहुंचने वाली नहीं है । इसलिये हम सरकार का विरोध करते हुये दिन भर के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस अनावृष्टि को देखते हुये दस बीघे से कम के काश्तकारों की सिंचाई माफ करने और खाद मुफ्त देने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जो सब कुछ जिलाधीश के ऊपर छोड़ दिया है, इन नीति के विरोध में हम लोग वाक आउट करते हैं ।

(श्री नेकराम शर्मा सदन छोड़कर चले गये ।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में एक जगह कहते हैं वसूली जबिया की जायगी, दूसरी जगह कहते हैं कि जहां गहरा प्रभाव पड़ा हो वहां वसूली बन्द हो जायगी । और इस गहरे प्रभाव का निर्णय कौन करेगा ? वही इनके कलेक्टर साहब । तो घूम-फिर कर सब १६ आने निर्णय इन्होंने अपने हाथ में ही रखा है । इनके वक्तव्य को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि कोई चीज ठोस नहीं हुई है, यह सिर्फ बहलाने वाली चीज है । इसलिये इस वक्तव्य के विरोध में और सरकार की इस प्रकार की असंतोषप्रद नीति के विरोध में हम वाक्-आउट करते हैं ।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा कि मेरी इच्छा है कि जिलाधीश लोग विधायकों को असोशियेट करें । इसके लिये मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यह उनकी इच्छा ही न रह कर क्या कार्य रूप में परिणत भी हो जायगी और क्या वे स्पष्ट आदेश देंगे कि जिलाधीश विधायकों को बुलाकर और उनसे राय करके तब कोई कदम उठावें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमारी इच्छा ही आदेश हो जाती है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

झांसी जिले के ललितपुर सब डिवीजन में गल्ले और घास की बहुत दिक्कत है । १ रुपये किलो में मैंने खुद सूखी घास खरीदी है । वहां पानी पीने की इतनी दिक्कत है कि लोग, ३, ३ बजे से कुयें पर पहुंचते हैं । लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता । क्या पत्थर तोड़ने की मशीन वहां लगवाने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मशीन की व्यवस्था तो हम नहीं कर पाते, न हम उस बारे में जानते ही हैं ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु---

यद्यपि आगरे में वर्षा थोड़ी सी हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है, जिससे फसल हो सके । तो क्या आप आगरा को भी पिछड़े जिलों की सूची में स्थान देने के लिये तैयार होंगे और क्या वहां के उन किसानों को जिनके पास जमीन १५ या २० बीघे से कम है उनको लगान और दूसरे ड्यूज से माफी देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जो कायदा है उसके अनुसार तो जो भी उसमें आता होगा चाहे ५० बीघे का भी किसान हो, उसको माफ करना ही पड़ेगा ।

श्री झारखंडे राय---

जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें पूरा सब चीजों का, सब स्थिति का सही मूल्यांकन और चित्रण नहीं हुआ है और इस समय भी माननीय राजस्व मंत्री पुराने जमाने के राजाओं की तरह से राज्यशाही और सामन्तशाही बात कहते हैं कि "हमारी इच्छा ही आदेश है" और इस बात से उन्होंने अपने जिलाधीशों को इतना अधिकार दे दिया है कि वह चाहें तो जिस तरह पर अमल करें । इस राज्यशाही ढंग के विरोध में हम भी सदन से वाक आउट करते हैं ।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)---

बसूली के लिये कायदा यह है कि हर तहसीलदार को शील्ड इनाम मिलती है इसलिये कि वह पूरी जान लगाकर वसूली करें । तो क्या माननीय मंत्री जी ने उस शील्ड के इनाम वाली बात को स्थगित कर दिया है क्योंकि जब तक इनाम का सवाल रहेगा तब तक वे किसानों को बुलाकर वसूली करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इस काम के लिये जो इस वक्त हो रहा है उसमें इनाम और शील्ड का सवाल नहीं आता ।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

बलिया में फसल न होने की वजह से खरीफ की सारी फसल चली गयी और धान की रोपाई भी नहीं हो सकी और आज भी बड़ी सख्ती से लगान और तकावी की वसूली हो रही है । देहाती एरिया में लोग भूखों मर रहे हैं ऐसी स्थिति है । और आज तक देहाती एरिया में राशन की दूकानें नहीं खुल पायी हैं । तो क्या सरकार ऐसे आदेश भेजेगी कि बलिया में कुर्की और वारन्ट से जो वसूली हो रही है वह बन्द कर दी जायगी और देहाती एरिया में जहां लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं वहां राशन की दूकान खुल जाय और टेस्टवर्क खोल दिये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जहां तक रुकावट का सवाल है आदेश हमारे पहुंच गये हैं ।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

सरकार इस सम्बन्ध में जो नीति चला रही है उसके विरोध में हम भी वाक आउट करते हैं ।

(रिपब्लिकन दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे और नलकूपों पर तथा और जगह रियायत के आर्डर दिये गये हैं और उनके साथ जो कुछ रियायत सरकार कर रही है या करने जा रही है तो इसके साथ-साथ जो प्राइवेट ट्यूबवेल वाले हैं उनकी बिजली की दर में कोई माफी या छूट और पानी के लिये इंजिन लगे हैं उनके डिजिल में कोई माफी या छूट देने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

अभी ऐसा विचार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और सोमवार २३ अगस्त, १९६५ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन १ बजकर १० मिनट पर सोमवार, २३ अगस्त, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१८ अगस्त, १९६५ ।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १०१२ पर)

तालिका—क

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में इस समय १९ अध्यापक पार्ट-टाइम कार्य करते हैं । पूर्णकालिक अध्यापकों में से ९ अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति नहीं की जा सकी है, इनका ब्योरा निम्नलिखित है :—

(१)	रीडर, कायचिकित्सा	५–१–१९६३ से
(२)	रीडर, द्रव्य गुण	१–२–१९६५ से
(३)	रीडर, रस शास्त्र	१–२–१९६५ से
(४)	लेक्चरर, प्रसूति स्त्री व बाल रोग	६–६–१९६१ से
(५)	लेक्चरर, मार्डन मेडिसिन	अप्रैल, १९५९ से
(६)	लेक्चरर, मार्डन सर्जरी	२९–४–१९५९ से
(७)	लेक्चरर, एनाटमी	८–२–१९५९ से
(८)	लेक्चरर, रस शास्त्र तथा भेषज्य कल्पना ..	१२–११–१९६२ से
(९)	डिमान्सट्रेटर, द्रव्य गुण तथा रस शास्त्र ..	२२–५–१९६५ से

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ. १०२१ पर)

मांगों की सूची

१—नई भर्ती में मजदूरों के लड़कों के लेने के बाद ही कोई दूसरा लिया जायेगा ।

२—यूनियन का एलेक्शन विधान के मुताबिक यदि कार्यान्वित नहीं किया गया तो डिपो के अधिकारी यूनियन को पदाधिकारियों से कोई सहयोग नहीं करेंगे, जैसा कि मौजूदा समय में हो रहा है ।

३—कैजुअल इम्प्लाईज के सर्विस ब्रेक को रोकने के लिये ठोस कदम उठाये जायें ।

४—हर एक अधिकारी व्यक्ति को जो कोआपरेटिव से कर्ज लेना चाहे कर्जा दिलाने का उचित नियम बनाया जाय ताकि कर्जा लेते समय की घूसखोरी बन्द हो के तथा भाई-भतीजा वाद का खात्मा हो सके ।

५—डिपों के एक सब-डिपो आफिसर मजदूरों पर दबाव न डालें जैसा कि आजकल चल रहा है ।

६—डिपो के एक सब-डिपो से दूसरे सब-डिपो में ट्रांसफर करने का कोई नियम बनाया जाय ।

७—वर्क्स कमेटी का फिर से चुनाव कराके चालू की जाय ।

८—कोआपरेटिव तथा राशन बांटने वालों का दोहरा तनख्वाह रोका जाय ।

९—राशन बांटने की उचित व्यवस्था की जाय ।

१०—श्री ओम प्रकाश गौड़ को सी० ओ० डी० के अन्दर न जाने दिया जाय ।

११—श्री के० के० श्रीवास्तव, कन्हैयालाल वर्मा श्री राजू व श्री पटेल को पुनः काम पर लिया जावे ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०७ एल० ए०—१९६५—८६२ ।